द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ५१

शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१
२ वैशाख १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५—अंक ५१ से ६१—२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ५१—शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९–६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३–६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन—स्वीकृत . . . ६००४–६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . ६००७–१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०–२१

**अंक—५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०९ और १६९० ६०२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२–७४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	
१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . .	६०७४–७५
२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी	६०७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन	६०७७–७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६०७८
कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य	६०७८
आय-कर विधेयक ––पुरस्थापित .	६०७९
तार विधियां (संशोधन) विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए.	६०७९–८०
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . .	६०८०–८१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक .	.६०८१––६०१३
विचार करने का प्रस्ताव .	.६०८१––६१०१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	.६१०१––६१०३
भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव	६१०३––०८
दैनिक संक्षेपिका . .	६१०९––१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/
५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० .	६११५––३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४	६१३९––४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६०	६१४१––७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१७८–७९
भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना––	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६१७९–८०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य–	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति	६१८०
तीसरा प्रतिवेदन––	

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८१—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	१६८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक	६१८५—९७
विचार प्रस्ताव	६१८५—९१
खंड २, ३ और १	६१९२
पारित करने का प्रस्ताव	६१९२—९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२	६१९७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/
६ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३९६६, ३९६८ से ३९७१ और ३९७३ से ३९७९	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें––१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक––	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५–– ——————————

७ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव––	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति ––	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१––पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८ ६४५३--७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ . ६४७५--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२ ६४७८--६५१५

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें ६५१५---१६

प्राक्कलन-समिति . . ६५१६--१७

(१) कार्यवाही सारांश

(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से संदेश ६५१६

विशेषाधिकार समिति--

बारहवां प्रतिवेदन . ६५१७

सभा का कार्य . . . ६५१७--१८

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक---पुरस्थापित ६५१८

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित ६५१८--१९

आयकर विधेयक ६५१९---३१

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६ १९--३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

चौरास्सीवां प्रतिवेदन . . ६५३१

धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प---अस्वीकृत ६५३१--४३

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प ६५४३---४५

दैनिक संक्षेपिका ६५४६--५१

विषय पृष्ठ

अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२० ६५५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२ . . . . ६५७६—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९ ६५८५—६६३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना . ६६३४–३५

कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में ६६३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६६३५–३६

राज्य-सभा से सन्देश ६६३६–३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६६३७

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ६६३७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ६६३७–३८

विशेषाधिकार समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ६६३८–३९

आयकर विधेयक, १९६१ ६६३९—४३

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६६३९—४३

दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक ६६४३—६५

विचार करने का प्रस्ताव ६६४३—६२

खंड २ और तीन २६६३—६५

दैनिक संक्षेपिका ६६६६—७३

अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५० ६६७५—९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ ६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३९, १८४५ और १८५१ से १८५९ .	६७०२--०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६	६७०७--४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली	६७४१--४२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--	
न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें	६७४२-४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	६७४३--४५
भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . .	६७४५
दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक	६७४६--४९
खंड ३ से ९ और १	६७४६-४७
पारित करने का प्रस्ताव . .	६७४७--४९
भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक .	६७४९-५०
विचार करने का प्रस्ताव	६७४९-५०
खंड १ और २	६७४९-५०
पारित करने का प्रस्ताव .	६७५०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५८-५९	६७५०--५८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१--पारित	६७५८-५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८-५९	६७५९-६०
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१--पारित	६७६१--६३
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६७६३--६७
भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव .	६७६८--७५
दैनिक संक्षेपिका	६७७६--८२

अंक ५९--बुधवार, ३ मई, १९६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७९ और १८८२ .	६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८९८ . .	६८०७–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ . . .	६८१७–७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना . .	६८७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था .	६८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	६८८४–८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक . .	६८८५–९७
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६८८५—९३
खंड २ से ५ तथा १	६८९३–९४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६८९४—९७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक . . .	६८९७—९१९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६८९७—९१७
खंड २ से ५ तथा १ .	६९१७—१९
पारित करने का प्रस्ताव .	६९१९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक . . .	६९१९–२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	६९२०–२१
दैनिक संक्षेपिका	६९२२—३०

अंक ६० गरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८९९, १९०४, १९०५, १९०७ से १९११, १९१४ और १९१५	६९३१—५७

विषय	पृष्ठ
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६	६९५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९००, १९०१, १९०३, १९०६, १९१२, १९१३, १९१६, १९१६-क और १९१७ से १९२५ . .	६९५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ५४८७, ४५८९ से ४५९२, ४५९४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख .	६९७६—७०२४
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य	७०२४—२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . .	७०२५—२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७०२६—२८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	७०२८
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
कर्यवाही सारांश	७०२८
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
कार्यवाही सारांश	७०२८
राज्य-सभा से सन्देश . . .	७०२९
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	७०२९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	७०२९—५३
खंड २ से २८ और खंड १	७०४९—५३
पारित करने का प्रस्ताव .	७०५३
सदस्य को सजा	७०४३
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . .	७०५४—५६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	७०५६—६३
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	७०६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	७०६६—७५

विषय	पृष्ठ

अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२६, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४६ और १९४६-क १९४२-क, . ७०७७—९७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . . ७०९८—७१०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१ ७१०४—०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६९४ और ४६९६ से ४७०३ . . . . . ७१०७—४६

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ७१४६—४८

स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ७१४८–४९

१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।
२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा ।
३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें ।
४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।
५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।
६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७१४९—५१

राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य ७१५१

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ७१५२

कार्यवाही सारांश

याचिका संबंधी ७१५२

कार्यवाही सारांश

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश ७१५२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ७१५२

प्राक्कलन समिति ७१५२

एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैंतिसवां प्रतिवेदन

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पूंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४––६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१––६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस विचार करने का प्रस्ताव	७१६५––९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का) विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४––९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००––०९
तेरहवां सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०––१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

लोक-सभा

शनिवार, २२ अप्रैल १९६१

२ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

वित्त विधेयक-जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब वित्त विधेयक १९६१ के खण्डों पर चर्चा होगी। इसके लिये निर्धारित ३½ घंटों में से ३ घंटे खण्डवार चर्चा तथा आधा घंटा तीसरे वाचन के लिये निश्चित किया जाता है।

प्रश्न यह है :

'कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३--(धारा ४ का संशोधन)

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

पृष्ठ ३, पंक्ति २३ में 'inserted' ('जोड़ा जाये') के स्थान पर 'substituted' ('के स्थान पर रखा जाये') शब्द जोड़े जायें।

पृष्ठ ३, पंक्ति ३३ से ४४ के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"Provided also that where a person referred to in the proviso immediately preceding continues to remain in employment in India after the expiry of the thrity-six months commencing from the date of his arrival in India, the employer may, not withstanding anything contained in section 200 of the Companies Act, 1956, pay to the Central Government the tax on the income of such person chargeable under the head 'Salaries' for a period not exceeding twenty-four months

†मूल अंग्रेजी में

following the expiry of the said thirty-six months and if the tax is so paid it shall not be included in his total income of the said period.';".

["परन्तु ठीक पहले के परन्तुक में उल्लिखित व्यक्ति भारत में आने की तिथि से छत्तीस महीने खत्म होने के बाद भारत में नौकरी में रहता है तो समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा २०० में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उसको नौकर रखने वाला छत्तीस महीने समाप्त होने के बाद चौबीस महीने से अनधिक की अवधि के लिये 'वेतन' शीर्ष के अधीन, ऐसे व्यक्ति की आय पर केन्द्रीय सरकार को कर का देनदार होगा तथा यदि यह कर दे दिया जायेगा तो इसको उस व्यक्ति की कथित अवधि की आय नहीं माना जायेगा ।"]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३ पंक्ति २३ में 'inserted' ('जोड़ा जाये') के स्थान पर 'substituted' ('के स्थान पर रखा जाये') शब्द जोड़े जायें ।

पृष्ठ ३ पंक्ति ३३ से ४४ के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"Provided also that where a person referred to in the proviso immediately preceding continues to remain in employment in India after the expiry of the thirty-six months commencing from the date of his arrival in India, the employer may, notwithstanding anything contained in section 200 of the Companies Act, 1956, pay to the Central Government the tax on the income of such person chargeable under the head 'Salaries' for a period not exceeding twenty-four months following the expiry of the said thrity-six months and if the tax is so paid it shall not be included in his total income of the said period.';".

["परन्तु ठीक पहले के परन्तुक में उल्लिखित व्यक्ति भारत में आने की तिथि से छतीस महीने खत्म होने के बाद भारत में नौकरी में रहता है तो समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा २०० में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उसको नौकर रखने वाला छत्तीस महीने समाप्त होने के बाद चौबीस महीने से अनधिक की अवधि के लिये 'वेतन' शीर्ष के अधीन ऐसे व्यक्ति की आय पर केन्द्रीय सरकार को कर का देनदार होगा तथा यदि यह कर दे दिया जायेगा तो इसको उस व्यक्ति की कथित अवधि की आय नहीं माना जायेगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं समझता हूं कि आय-कर अधिनियम की धारा ४ में जो परन्तुक जोड़े जा रहे हैं वह ठीक नहीं हैं । क्योंकि इन परन्तुकों के द्वारा हम तीन वर्ष की अवधि को बढ़ा कर पांच वर्ष की अवधि कर रहे हैं जिसमें भारत में नियुक्त विदेशियों से आय-कर नहीं लिया जायेगा । यह उचित नहीं है ।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : हमारे भारतीय कर्मचारी शिकायत कर रहे हैं कि विदेशी टैक्नीशियन उनको मशीनों की टैक्नीकल जानकारी शीघ्रता से नहीं दे रहे है । कोई नहीं जानता कि यह लोग कब तक भारत से जायेंगे । यदि हम विदेशी टैक्नशियनों को वेतन तथा पारिश्रमिकों में

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार छूट देते चले जायेंगे तो निश्चित है कि यह टैक्नशियन भारतीयों को मशीनों की जानकारी नहीं देंगे। मैं इसीलिये इस खण्ड का विरोध करता हूं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह उन टैक्निशियनों पर लागू होगा जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। हमें इन टैक्निशियनों की आवश्यकता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी शीघ्र इन बातों को सीख जायें। मैं समझता हूं कि यदि हम उन्हें उचित सुविधायें देंगे तो वह और शीघ्रता से टैक्नीक सिखायेंगे।

सरकारी परियोजनाओं में लगे हुए कर्मचारी इस परन्तुक के अधीन नहीं आते हैं। उन को तो काम समाप्त हो जाने के बाद कह दिया जायेगा कि अब आप जा सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४—(धारा ७ का संशोधन)

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची-पूर्व) : सरकारी संशोधनों के द्वारा खंड ४ में यह व्यवस्था की गई है कि जिस प्रकार असैनिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाने के बाद मिलने वाले उपदान पर कोई कर नहीं लिया जाता है उसी प्रकार सैनिक कर्मचारियों से भी हमें उपदान से कोई कर नहीं लिया जाना चाहिये। किन्तु सरकारी कर्मचारियों के अलावा यह छूट गैर-सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं दी जाती। मेरा निवेदन है कि यह छूट उन्हें भी दी जानी चाहिये। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि यह असमानता दूर हो जाये। इस से मध्यवर्ती लोगों को काफी लाभ होगा और उन्हें अच्छी राहत मिल जायेगी।

†**श्री च० द० पांडे** (नैनीताल) : सामान्यतया यह उपदान उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें पेन्शन नहीं मिलती। चूंकि यह उपदान सेवानिवृत होने पर काफी मात्रा में दिया जाता है अतः इस कुल राशि पर यदि कर लगाया गया हो तो कर्मचारियो को काफी रकम कर के रूप में ही देनी पड़ जायेगी। अतः श्री मसानी का यह सुझाव कि उपदान को कर मुक्त करने सम्बन्धी सुविधा सभी कर्मचारियों को दी जाये समुचित है और उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई**: गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये उपदान योजना वैसी नहीं है, जैसी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये है। अतः खंड ४ के प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान कर पाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५—(धारा ९ का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ३ नियम बाह्य है। अतः सरकारी संशोधन ही रह जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

पृष्ठ ४, पंक्ति १२ :—

"धारा ९ के बाद निम्न रख दिया जाये" "of the Income tax Act" आयकर अधिनियम का) :

पृष्ठ ४, पंक्ति २० :

"By" (द्वारा/से) शब्द निकाल दिया जाये ।

पृष्ठ ४, पंक्ति २३ :

"By" (द्वारा / से) शब्द निकाल दिया जाये ।

पृष्ठ ४, पंक्ति २९ :

"will (होगा), के स्थान पर "shall" (होगा)" रखा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ६—(धारा १० का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ६ संबंधी संशोधन संख्या ४ तथा ५ नियम बाह्य है क्योंकि उन के लिये राष्ट्रपति की अनुमति चाहिये । शेष संशोधन सरकारी है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति ३१—

धारा १० के बाद "of the Incometax Act" (आयकर अधिनियम का) शब्द रख दिये जायें ।

पृष्ठ ४, पंक्ति ४०—

"प्रतिमास" शब्द के बाद निम्न रख दिया जाये :—

"or such buildings being used solely or mainly for the welfare of such persons as hospitals, creches, schools, canteens, libraries, recreational Centres, shelters, rest rooms and lunch rooms." (अथवा ऐसे भवन जैसे अस्पताल, स्कूल, कैन्टीन पुस्तकालय, आमोद प्रमोद-गृह, आरामगाह और भोजनकक्ष जो प्रधान रूप से अथवा मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिये उपयोग में लाये जाते हों)

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ, ४, पंक्ति ४१--

"written down value" (लिखित मूल्य) के बाद निम्न रख दिया जाये "for the purpose of this clause" (इस खंड के प्रयोजनार्थ)

पृष्ठ ५, पंक्ति ५--

"रखे गये" शब्दों के बाद "Substituted" (के स्थान पर रख दिये जायें)

पृष्ठ ७, पंक्ति ३--

"the firm" (सार्थ) के बाद "Immediately" (तुरन्त ही) शब्द रख दिये जाये ।

पृष्ठ ७, पंक्ति २४--

"Provisos" (परन्तुकों) के स्थान पर "Proviso" (परन्तुक) रख दिया जाये ।

पृष्ठ ७--

पंक्तियां २६ से २८ निकाल दी जाये ।

पृष्ठ ७, पंक्ति २९--

"further" (आगे) शब्द निकाल दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम) : खंड ६ के उपखंड (२) का प्रस्तावित संशोधन भेदभाव करता है । यदि कोई सार्थ किसी गैर-सरकारी समवाय के हाथ में चली जाती है तो उस सार्थ को दी जाने वाली विकास छूट को ठीक माना गया है, अतः इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि यदि किसी एक व्यक्ति या संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा चलाया जाने वाला कोई कारबार किसी गैर-सरकारी के समवाय के हाथ में चला जाता है और वह व्यक्ति या वह परिवार उस समवाय का अंशधारी बना रहता है, तो उस व्यक्ति को या उस परिवार को दी गई विकास छूट को गलती से दी गई छूट माना गया है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : खंड ६ में जो प्रस्तावित संशोधन है उस के पीछे उद्देश्य यह है कि जहां कोई फर्म अपने को किसी गैर सरकारी समवाय या समवाय में बदल लेता है, तभी उस को यह छूट मिले; उन व्यक्तियों या परिवारों को यह छूट न मिले जो अपनी सार्थ को किसी ऐसे समवाय को, जिस के और भी अनेक अंशधारी हों, सौंप देते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ४, पंक्ति ३१--

धारा १० के बाद "of the Income-tax Act" (आय कर अधिनियम का) शब्द रख दिये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ ४, पंक्ति ४०--

"प्रतिमास" शब्द के बाद निम्न रख दिया जाये :--

"or such buildings being used solely or mainly for the welfare of such persons as hospitals, creches, schools, canteens, libraries, recreational centres, shelters, rest rooms and lunch rooms". (अथवा ऐसे भवन जैसे अस्पताल, स्कूल, कैन्टीन, पुस्तकालय, आमोद-प्रमोद गृह, आरामगृह और भोजन कक्ष जो प्रधान रूप से अथवा मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिये उपयोग में लाये जाते हों)"

पृष्ठ ४, पंक्ति ४१--

"written down value" (लिखित मूल्य) के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये "for the pvrpose of this clause" (इस खंड के प्रयोजनार्थ)

पृष्ठ ५, पंक्ति ५--

"रखे गये" शब्दों के बाद "substituted" (के स्थान पर रख दिये जायें)"

पृष्ठ ७, पंक्ति ३--

"the firm" (सार्थ) के बाद "Immediately" (तुरन्त) ही) शब्द रख दिये जायें ।

पृष्ठ ७, पंक्ति २४--

"provisos" (परन्तुकों) के स्थान पर "Proviso" (परन्तुक) रख दिया जाये ।

पृष्ठ ७--

पंक्तियां २६ से २८ निकाल दी जायें ।

पृष्ठ ७, पंक्ति २९--

"further" (आगे) शब्द निकाल दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७ से १२

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ७ से १० तक के संशोधन नियम बाह्य हैं क्योंकि उनके लिये राष्ट्रपति की अनुमति चाहिये अतः यदि ये संशोधन नियम बाह्य हो गये तो फिर खंड ७ से १२ तक कोई संशोधन नहीं रह जाते । मैं इन खंडों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : संशोधन संख्या ३९ जो मेरे तथा श्री नथवानी के नाम से है राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता के कारण रद्द कर दिया है। लेकिन उस का उद्देश्य होटल उद्योग वालों को जो रियायत १ अप्रैल, १९६१ से दी जा रही है, वह अप्रैल, १९६० से दी जानी चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस का उद्देश्य होटल उद्योग को प्रोत्साहन देना है। भूतलक्षी प्रभाव देना मेरे विचार से ठीक नहीं होगा। साथ ही सभी होटलों को भी यह सुविधा देना अनुचित होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८, ९, १०, ११ और १२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

(खण्ड १३—१९४४ के अधिनियम १ का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब खंड १३ पर विचार होगा। कुछ संशोधन हैं। माननीय वित्त मंत्री उन्हें प्रस्तुत करें ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं अपने संशोधन संख्या २४, २५, २६, २७, २८, २९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री प्रभात कार** : यदि ये संशोधन पारित हो गये तो मेरे संशोधन स्वत: ही रद्द हो जायेंगे। मेरे संशोधन संख्या ५६, ५७, ५८ और ५९ हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: संशोधन संख्या ५६ नियम बाह्य है। संशोधन संख्या ५७ संशोधन संख्या ४४ जैसा है, और ५९ संख्या ४७ जैसा है ।

†**श्री प्रभात कार** : मैं अपने संशोधन संख्या ५७, ५८ और ५९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री आसर** (रत्नगिरि) : मैं अपने संशोधन संख्या ४१, ४२, ४३, ४५, ४६, ५१ और ५२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ४१ तो नियम बाह्य है। ५२ पर राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिये अत: यह नियम बाह्य है ।

†**श्री आसर** : मैं अपने संशोधन संख्या ४२, ४३, ४५, ४६ और ५१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं संशोधन संख्या ६०, ६१, ६२ और ६३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**पंडिता ठाकुर दास भार्गव** : (हिसार) मैं अपने संशोधन संख्या ४८, और ४९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नंजप्पा** (नीलगिरि) : मेरा संशोधन संख्या ८ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह नियम बाह्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा निवेदन यह है कि जहां तक ऊनी धागे का प्रश्न है, मोटे ऊनी धागे तथा भारतीय ऊन के धागे को कर से मुक्त किया जाना चाहिये। इस के अलावा शुल्क वजन के हिसाब से २५ नये पैसे प्रति पौण्ड होना चाहिये न कि मूल्यानुसार। भारतीय ऊन को गरीब लोग ऊन को कपड़े लगा कर पहनने के काम में लाते हैं। जहां तक गलीचों के निर्यात की बात है मेरा विचार है कि इन के निर्यात से काफी आय नहीं होगी। कम्बल प्रायः सेना के उपयोग में लाये जाते हैं यदि ऊनी धागे पर कर लगाया गया तो सरकार को स्वयं इस के लिये शुल्क देना होगा।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मोटे किस्म की ऊन को पहले ही एक अधिसूचना निकाल कर कर से मुक्त कर दिया गया है।

†**श्री प्रभात कार** : अगर प्लास्टिक पर २० प्रतिशत यथा मूल्य शुल्क लगा दिया गया तो इस का प्रभाव प्लास्टिक की गुड़िया बनाने वाले छोटे छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। अतः मेरा निवेदन है कि इस पर कर लगाने से पूर्व माननीय मंत्री इस पर अच्छी तरह विचार करें। शक्तिचालित करघों को कोई राहत देने की बजाय उन के लिये कठिनाइयां ही उत्पन्न की गई हैं। अब तक ये लोग कोई कर नहीं दिया करते थे लेकिन अब उन्हें कर देना होगा। नादिया जिलेमें बहुत से शरणार्थी इन शक्ति चालित करघों के द्वारा अपनी जीविका कमा रहे हैं अगर इन पर यह कर लगा दिया गया तो हो सकता है कि इन्हें अपना काम बन्द कर देना पड़े। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय प्लास्टिक पर कर लगाने से पूर्व एक बार फिर विचार करें।

श्री ब्रज राज सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन ग्लासवेयर्स के सम्बन्ध में है। इस फाइनेन्स बिल में यह व्यवस्था की गई है कि शीट ग्लास ऐंड प्लेट ग्लास की कीमत पर १० फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। लेबोरेटरी ग्लासवेयर की कीमत पर ५ परसेन्ट टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। ग्लास शैल्स, ग्लास ग्लोब्स ऐंड चिमनीज फार लैम्प्स ऐंड लैन्टर्नस पर १० परसेंट टैक्स लगाये जाने का प्रस्ताव है और अदर ग्लासवेयर इनकुलिडग टेबुलवेयर पर १५ फीसदी टैक्स लगाये जाने की व्यवस्था है।

अभी वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में एक संशोधन किया है। उस के अनुसार सिर्फ उन लोगों को कोई रिआयत मिलेगी जो कि टूटे हुए कांच से या ऐसे कांच से जो कि बर्बाद हो चुका है, उस से चीजें बनाते हैं और जिस में पावर इस्तेमाल नहीं की जाती है और जहां सिर्फ २० आदमी काम करते हैं। अब मैं नहीं समझता कि टूटे हुए कांच से कहीं पर भी इस तरह के कोई ग्लसवेयर्स बनते हैं अगर बनती भी हैं तो छोटी मोटी शीशियां बनती हैं इस का नतीजा यह होगा कि वित्त मंत्री महोदय द्वारा इस संशोधन के बाद भी लोग टैक्स से बच नहीं सकेंगे और जैसा उन्हों ने परसों अपने भाषण में फाइनेन्स बिल पर बोलते हुए कहा था, वह वैसे का वैसा ही रहने वाला है। और इस से कोई भी राहत उत्पादन कर्त्ताओं को मिल नहीं सकेगी। मेरा संशोधन यह है कि सरकार उस सिद्धान्त को देखते हुए जो कि उन्हों ने बना रक्खा है अर्थात् जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन को बड़े उद्योगों के बराबर लाने के लिये यह विशेष सुविधायें मिलनी चाहियें। सरकार की नीति यह है कि ५ लाख या ५ लाख से कम जहां पूंजी लगी हुई है उन को स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कहा गया है। इस के अनुसार इन उद्योगों को दूसरे उद्योगों के बजाये कुछ अधिक राहत दी जाती है। इन संशोधनों के जरिये मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जिन उद्योगों में पांच लाख या पांच लाख रुपये से कम पूंजी लगी हो, उन को विशेष सुविधा दी जाये। इस सम्बन्ध में मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने यह निश्चित नीति मान ली है कि स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज के उद्योगों को विशेष सुविधा दी जानी चाहिये और उन को सरकार की ओर से प्रोत्सहन दिया जाना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये। इस नीति को निर्धारित करने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कांच उद्योग का प्रश्न है, मैं वित्त मंत्री महोदय की सूचना के लिये कुछ बातें बताना चाहता हूं।

कांच काजं छोटा उद्योग है, जिस में पांच लाख या पांच लाख पये से कम कैपिटल लगा होता है उस में कांच बनाने के लिये छोटी भट्टी होती है और बड़े उद्योग में बड़ी भट्टी होती है। बड़ी भट्टी में, जो कि बड़े उद्योगों में प्रयुक्त की जाती है, कोयले का खर्च छोटी भट्टी के मुकाबले में, जिस का प्रयोग छोटे उद्योग करते हैं एक-तिहाई होता है, यानी छोटी भट्टी में कोयले का खर्च तिगुना होता है। इस का नतीजा यह है कि छोटे उद्योग में जो ग्लास की चीजें बनती हैं, उन के उत्पादन का व्यय बढ़ जाता है। इसी प्रकार से छोटे उद्योग के उत्पदन की बिक्री भी यथोचित व्यवस्था नहीं होती है। इस के अतिरिक्त प्रबन्ध के मामले में भी छोटे उद्योग वालों को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिये ले दि मी तौर पर छोटे लोगों को उत्पादन का व्यय बड़े लोगों से ज्यादा होता है। मेरा कहना यह है कि यदि सरकार छोटे उद्योग को, जिस में पांच लाख या पांच लाख से कम पूंजी लगी होती है, और बड़े उद्योग को, जिस में पांच लाख से ज्यादा पूंजी लगी होती है, एक ही स्तर पर रखेगी, तो इसका नतीजा यह होगा कि छोटे उद्योग वाले बाजार में काम्पीटीसन नहीं कर सकेंगे, बड़े उद्योग के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे और इस तरह छोटे लोगों को अपना काम बन्द कर देना पड़ेगा। यदि सरकार की यह नीति है कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये—और वह एक सही नीति है—जैसा कि उस ने घोषणा की है, तो उस को यह सोचना पड़ेगा कि छोटे उद्योग वाले बड़े उद्योग वालों से काम्पीटीशन, प्रतियोगता कर सकें, इस के लिये उनको विशेष राहत देनी पड़ेगी।

मुझे यह देख कर ताज्जुब होता है कि शीट ग्लास और प्लेट ग्लास पर, जिस को बड़े कारखाने वाले बनाते हैं, जिन पर पचास लाख, एक करोड़ या उस से ज्यादा पूंजी लगती है, तो ड्यूटी लगाई गई है, है सिर्फ १० परसेन्ट एडवैलोरेम, लेकिन अदर ग्लासवेयर इन्क्लूडिंग टेबलवेयर पर १५ परसेंट एडवेलोरेम लगाई गई है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार छोटे उद्योग पर ज्यादा ड्यूटी लगा रही है और बड़े उद्योग पर कम, जब कि बड़े उद्योग में उत्पादन का व्यय कम होता है और छोटे उद्योग में ज्यादा। इस के अलावा जहां तक बड़े कारखानों का सवाल है, वहां पावर इस्तेमाल होती है और इस कारण वहां कम लोगों को काम मिलता है। इस की तुलना में छोटे उद्योगों में पावर इस्तेमाल न होने के कारण ज्यादा लोगों को काम मिलता है। लेकिन फिर भी छोटे उद्योग पर ज्यादा और बड़े उद्योग पर कम टैक्स लगाया जा रहा है। इस का नतीजा तो यही होगा कि छोटे लोगो को अपना काम बन्द कर देना पड़ेगा और सिर्फ बड़े लोग ही इस क्षेत्र में रह जायेंगे। इसलिये मैं खासतौर पर फिरोजाबाद के बारे में बताना चाहता हूं। जो कि कांच के उद्योग का केन्द्र है।

एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो चूड़ी का काम करने वाले अधिकतर लोग पाकिस्तान चले गये। इसी प्रकार का हिन्दुस्तान का वह बहुत बड़ा हिस्सा भी पाकिस्तान में चला गया, जहां चूड़ियों की खपत होती थी। इस अवसर पर केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा कि जो लोग चूड़ी का काम करते थे, उन को दूसरा काम करना चाहिये, क्योंकि चूड़ियों का जितना उत्पादन होता था, उस की अब पूरी खपत नहीं हो सकती है। इस कारण चूड़ी उद्योग के बजाय कांच उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया और उन लोगों को सुविधायें दी गयीं, ताकि जो क्षमता चूड़ी उद्योग में लगी हुई थी, उस से कांच के बरतन, खिलौने, ग्लास, चिमनी और ग्लोब्ज आदि बनाये जायें। लोगों ने सरकार के इस आह्वान के अनुसार वहां ग्लास-वेयर बनाना शुरू कर दिया और वह काम छोटे छोटे आधार पर किया जाने लगा। अब इस टैक्स को लगाये जाने के माने ये होंगे कि वह उद्योग बर्बाद हो जायेगा।

[श्री व्रजराज सिंह[

स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में उन की पूंजी के आधार पर, इस आधार पर कि किसी इंडस्ट्री पर जो पूंजी लगी हुई है, वह पांच लाख या पांच लाख से कम है या ज्यादा है, जो नीति निर्धारित की हुई है, वह मेरे विचार में उचित नहीं है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि सरकार को यह तय करना चाहिये कि किसी कारखाने की क्षमता कितनी है, उस में कच्चे माल की खपत कितनी होती है, १५० टन, २०० टन या २५० टन साल में होती है और उस के आधार पर ही एग्जेम्प्शन दी जाये और यह निर्धारित कर दिया जाये कि अमुक सीमा तक के उद्योगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है, तो नतीजा यह होगा कि छोटे लोग, जिन का छोटे स्तर पर काम होता है, बड़े लोगों से कम्पीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि छोटे उद्योगों में कच्चे माल की ज्यादा खपत होती है, कोयला ज्यादा लगता है और उत्पादन का खर्च बड़े उद्योगों से ज्यादा पड़ता है। इस लिये मेरा पहला संशोधन इस प्रकार है ---"बशर्ते कि पांच लाख अथवा उस से कम की लागत पूंजी वाले उपकरणों में बनाये जाने वाले प्रयोगशाला के शीशों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जायेगा।"

लैबोरेटरी ग्लासवेयर पर ५ परसेंट की डयूटी की जो व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं कि इस को बिल्कुल माफ कर दिया जायेगा। लैबोरेटरी ग्लासवेयर स्कूलों और कालेजों में इस्तेमाल होता है, जहां बच्चे पढ़ते हैं। इस पर टैक्स लगा कर सरकार छोटे छोटे बच्चों गी शिक्षा पर टैक्स लगाने जा रही है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा।

इस के साथ ही हाथ यह भी सोचना चाहिये कि इसी बजट नें सोडा ऐश पर दो रुपये पर-किंवटल टैक्स की व्यवस्था की गई है और इस ग्लासवेयर को बनाने में जितना सामान लगता है, उस का तीस परसेंट सोडा ऐश होता है। इस के अलावा कास्टिक सोडा और डीजल आयल पर भी टैक्स लगाया गया है और इन चीजों का भी इस उद्योग में उपयोग होता है। इस प्रकार दो तरह से टैक्स लगाना कहां तक उचित होगा ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लैबोरेटरी लासवेयर को कतई रूप से माफ कर देना चाहिये।

ग्लास शैल्ज, ग्लास ग्लोब्ज और लैम्प्स और लैन्टर्नज की चिमनीज पर १० परसेंट डयूटी की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि यह भी उचित नहीं है और खास तौर पर इस बात को देखते हुए कि छोटे और बड़े कारखाने इन चीजों को बनाते हैं, छोटे उद्योगों द्वारा बनाई गई चीजों पर डयूटी को जरूर माफ कर देना चाहिये।

मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि अदर ग्लासवेयर इन्क्लूडिंग टेबलवेयर पर १५ परसेंट डयूटी की व्यवस्था की गई है। शीट ग्लास एंड प्लेट लास पर, जिस को बड़े बड़े कारखाने बनाते हैं, तो १० परसेंट डयूटी लगाई गई है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों पर, जिन में ग्लास के खिलौने वगैरह ऐसी चीजों हैं, जो काफी मात्रा म विदेशों में जातीहैं १५परसेंट डयूटी लगा कर उस को बर्बाद करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले दिनों से, जब से इस उद्योग का विकास हुआ है, तब से यह सामान विदेशों को भेजा जाने लगा है। हमारे यहां श्रम की कीमत कम है। हमारे देश में अधिक आबादी होने के कारण हाथ से ज्यादा चीजें बनाई जा सकती हैं।अमरीका इत्यादि देशों में श्रम की कीमत ज्यादा है और मशीन से काम होता है। वहां हमारी इन चीजों की काफी खपत होती है। एक उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां टेबल पर रखने वाली कांच की जो चीजें बनती हैं, उन्हें अमरीका में बनाने के लिये एक आदमी को आठ घंटे की, अस्सी रुपया मजदूरी मिलती है,जब कि हिन्दुस्तान में,फिरीजाबद में, उतनी ही चोजें बनाने की, एक आदमी को एक दिन की मजदूरी आठ रुपये है। इस प्रकार अमरीका का उत्पादन-व्यय हमारे यहां से दस गुना है। इसलिये हमारी चीजें वहां भेजी जा सकती हैं और काफी फारेन एक्सचेंज प्राप्त किया जा सकता है। अगर छोटे कारखाने को डयूटी लगा कर बर्बाद कर दिया

जायेगा, तो उत्पादन बन्द हो जायेगा और यह देश के हित में नहीं होगा और साथ ही लोगों को काम कम मिल सकेगा। इसलिये इस पर पूरी तरह से टैक्स माफ होना चाहिये ; अगर किसी तरह से उस को माफ नहीं किया जा सकता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि फिरोजाबाद में यह जो छोटा काम होता है, उस से पांच लाख रुपये सालाना से ज्यादा आमदनी नहीं हो सकती है लेकिन इस टैक्स को वसूल करने की व्यवस्था करने में एक लाख रुपया व्यय करना होगा। अगर सरकार समझती है कि इस चार लाख रुपये का नुकसान नहीं किया जा सकता है, तो मैं सुझाव देता हूं यक अदर लासवेयर एंड टेबलवेयर पर जो १५ परसेंट **एड वैलोरम** की व्यवस्था की गई है, अगर उस को पूरा माफ नहीं किया जा सकता, तो जिन लोगों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट पांच लाख या पांच लाख से कम है, उन पर ५ परसेंट **एड वैलोरम** और पांच लाख से ज्यादा वालों पर १५ परसेंट **एड वैलोरम** डयूटी लगाई जाये। इस तरह सरकार छोटे लोगों को जिन का उत्पादन व्यय ज्यदा होता है, कुछ राहत दे सकेगी, और उन को बड़े लोगों के साथ कम्पीट करने का मौका दे सकेगी। मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये। मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इधर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया है यदि इस की जांच पड़ताल अच्छी तरह से की जाये, तो मैं विश्वास करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस बात से आश्वस्त हो जायेंगे कि छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक राहत और सुविधायें देने की जरूरत है। अगर उन को सुविधायें नहीं दी जाती हैं, तो बड़े उद्योगों के साथ उनका काम्पीटीशन नहीं हो सकेगा, प्रतियोगिता नहीं चल सकेगी। इस सूरत में छोटे उद्योगों को हानि हो सकती है और उन की बर्बादी हो सकती है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय इन सब बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और देखें कि जब हमारे सामने ज्यादा पैसे आने का सवाल नहीं है और न ही ज्यादा नुकसान होता है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि छोटे कारखानों को इस टैक्स से या तो पूरी तरह से माफ कर दिया जाये और अगर पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता है तो कम से कम छोटे और बड़े कारखानों के बीच कुछ फर्क अवश्य कर दिया जाए। अगर आप बड़े कारखानों से पन्द्रह परसेंट लेते हैं तो छोटे कारखानों से पांच परसेंट ही लें ताकि उनके द्वारा जो माल उत्पादित होता है, वह बड़े कारखानों में उत्पादित माल की प्रतियोगिता में बड़ा हो सके।

इसी संदर्भ में एक और भी बात याद रखने की है। ग्लासवेयर बनाने में जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है उस कच्चे माल के हर हिस्से पर आपने टैक्स लगाया हुआ है और जब उस पर टैक्स लगा हुआ है तो फिर उत्पादित जो वस्तु है उस पर टैक्स लगाना कहां तक उद्योग के हित में हो सकता है, इसका अन्दाजा आप खुद कर सकते हैं।

बजट पेश करने के बाद सफाई देते हुए वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि चूड़ी पर टैक्स नहीं लगा है। लेकिन जहां तक सोडा ऐश का सम्बन्ध है उस पर दो रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से टैक्स लगाया गया है। कैरोसीन आयल, डीजल इत्यादि पर भी टैक्स लगा हुआ है और ये सब चीजें चूड़ी बनाने के काम में आती हैं। इन सब टैक्सों के कारण उनका जो उत्पादन व्यय है वह बढ़ जाएगा। जो भी हो, मैं कहना चाहता हूं कि चूड़ी बनाने में एक वस्तु है जिसका नाम ग्लास टयूब है, वह काम में आती है। जब से ये टैक्स लगे हैं तब से वित्त मंत्रालय के अधिकारीगण, एक्साइज वसूल करने वाले अधिकारीगण ग्लास टयूब पर भी टैक्स वसूल करना चाहते हैं। ग्लास टयूब एक लम्बी सी चीज़ होती है कांच की जिससे खास तौर पर चूड़ियां बनाई जाती हैं। जो कच्चा माल है और जो चूड़ी बनाने के काम में आता है उस पर टैक्स लगाना कहां तक उचित है, इस पर आप विचार करें। खास तौर पर उस हालत में ज कि चूड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके बारे में कुछ सफाई करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा किया गया तो नीचे के अधिकारियों

[श्री बाल्मीकी]

हूं कि इन १२ सालों के अन्दर बड़े धन शालियों ने मशीनरी और धन राशि की सहायता का सरकार से लाभ उठाया है। आपने उनको धन की मदद भी दी है और टेक्नीशियन्स की भी मदद दी है। लेकिन जो छोटे उद्योग धंधे वाले आदमी हैं और उस काम में लगे हुए हैं और जिन्होंने थोड़ा सा धन लगा रखा है छोटे उद्योगों में या कुटीर उद्योगों में, उनकी ओर आप विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको मशीन की मदद या धन की मदद ठीक समय पर नहीं पहुंच पाती। चाहे जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो उन लोगों को वह मदद बराबर नहीं मिलती और उनको अनेक दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। जैसा मैंने कहा बड़ी मशीनों की मदद इन १२ सालों में बड़े लोगों को दी गई है जो स्वयं अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने काम को कर सकते थे। उनकी हैसियत है और स्टेटस है कि वह यह काम अपने आप कर सकते थे लेकिन सात साल के लिये जो मशीनें या धन कर्ज के रूप में दिया गया है वह उन लोगों को ही दिया गया है जो स्वयं अपना भार वहन कर सकते थे, लेकिन साधारण आदमियों की मदद, चाहे वह कोआपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा हो या और प्रकार से, नहीं मिल पाती। ये लोग पिछड़े हुए हैं और इन छोटे धंधों में लगे हैं, इनको मदद नहीं पहुंच पाती। आप जांच करायें तो आपको मालूम होगा कि जो लाखों रुपये की मशीनरी और लाखों रुपये की धनराशि सहायता के रूप में दी गई है और जो सहायता राज्यों में और जिला स्तर पर बांटी गई है वह उन लोगों को ही मिली है जिनका इकानामिक स्तर अच्छा है। जो छोटे लोग छोटे उद्योगों में लगे हैं उनको वह सहायता नहीं प्राप्त हुई है बल्कि उनको प्राप्त हुई है जिनको प्राप्त नहीं होनी चाहिये थी और जिनके पास अपना स्वयं का धन है। सहायता उनको मिली है जो सारा भार स्वयं वहन कर सकते थे। तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे जिले के अन्दर और मेरे क्षेत्र के अन्दर ग्लास का उद्योग, चूड़ियों का उद्योग और खास तौर से खुरजे में पॉटरी का उद्योग चल रहा है। यह उद्योग वहां सैकड़ों सालों से चलता आया है। आपने जो ग्लास और पॉटरी पर उत्पादन कर लगाया है उससे इन लोगों पर बड़ा असर पड़ा है। मेरे जिले के इन लोगों को इस ड्यूटी से बड़ा धक्का पहुंचा है। जो राहत आपने दी है उसका स्वागत किया जाता है लेकिन इन धंधों पर उस राहत का कोई असर नहीं पड़ा है। हमारे जो एक्साइज़ कलेक्टर हैं इलाहाबाद के उनका कहना है कि जो लोग खुर्जा के गवर्नमेंट सेंटर में काम करते हैं उनको तो लाइसेंस लेना ही होगा। जो छोटे छोटे यूनिट वहां काम करते हैं पार्टर्स के उनमें से कुछ ने उस सेंटर में ट्रेनिंग भी प्राप्त की है, उनको उस काम के लिये कर्जा भी मिला है और दूसरी सहायता भी मिली है, लेकिन वह उस काम को इस ड्यूटी के कारण आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो ये लोग यहां पर पोरसिलेन के बरतन बनाने का काम करते हैं वह पहले से ही बहुत दबे हुए हैं इनकी उन्नति के लिए राज्य सरकार ने सेंटर कायम किया है। यहां पर बहुत से छोटे छोटे यूनिट काम करते हैं जिनकी कुल संख्या ९३ है। इन में से सात यूनिट बड़े हैं जिनमें कुछ लाख का धन लगा हुआ है, लेकिन इनमें ८६ यूनिट बहुत मामूली कुम्हारों के हैं जिनमें दो दो, तीन तीन, या चार चार पांच पांच आदमी काम करते हैं। आपने कर में जो उदारतापूर्वक राहत दी है उसका इन पर कोई असर नहीं पड़ता। यह इन लोगों के छोटे घरेलू उद्योग हैं, यह लोग अपने घरों पर ही सामान तैयार करते हैं और उसको सरकारी सेंटर पर पकाने के लिये ले जाते हैं। लेकिन उनका सारा माल रुका पड़ा है क्योंकि सेंटर पर ड्यूटी लगा दी गई है। इसकी वजह से इन ८६ यूनिटों को, जिनमें वे गरीब कुम्हार भी शामिल हैं जिन्होंने इस सेंटर में ट्रेनिंग प्राप्त की है और जिन्होंने यहां काम शुरू किया है, भारी हानि पहुंच रही है।

जैसा कि मैंने कहा यहां पर ९३ यूनिट काम कर रहे हैं और अब तक जो उन्होंने माल परचेज किया है सन् १९६०–६१ में उसका मूल्य २,१३,९३७ रुपये है और उनका जो फिनिश्ड माल है वह अन्दाजन ६,१३,३५० रुपये का है। एक यूनिट को जो आमदनी होती है वह साल में करीब ४२०० रुपये की होती और एक एक कुम्हार को महीने में कठिनाई से ५० रुपये या ६० रुपये की आमदनी होती है। ये लोग छोटे आधार पर काम चला रहे हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खुरजा का यह उद्योग जिसको राज्य सरकार ने इस तरह की सहायता दी है...

श्री मोरारजी देसाई : जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हैं वह हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय : वे एग्जेम्प्ट हो गए हैं।

श्री बाल्मीकी : उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री मोरारजी देसाई : आपको मालूम नहीं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है।

श्री बाल्मीकी : अगर ऐसा है तो जो मेरा अमेंडमेंट है उसका मंशा पूरा हो जाता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता कि रेडियो इंडस्ट्री जो देश में बढ़ रही है वह भी अभी एक छोटे उद्योग के रूप में है। यह वांछनीय है कि यह काम फैले। इस उद्योग में छोटे छोटे लोग काम करते हैं और यह जरूरी है कि उनकी स्थिति ठीक हो। उनके लिये जो राहत दी जा रही है यकीनी तौर से यह एक प्रशंसनीय कार्य है और सराहनीय कार्य है।

लेकिन जहां तक कि रेडियोज पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का ताल्लुक है, मेरा मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि ऐसी यूनिट्स जो कि रेडियोज बनाने का धंधा छोटे रूप में करती हैं या छोटे पैमाने पर रेडियो के स्पेयर पार्ट्स और कम्पोनेंट पार्ट्स को अलग से बनवाते हैं, उनको एक्साइज डिपार्टमेंट वाले परेशान करते हैं और मैं समझता हू कि वह परेशानी आपके सामने लिखित रूप में पहुंची भी है और कुछ तार आदि भी इसके लिए आपके पास भेजे गये हैं मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और ऐसी छोटी यूनिट्स को जो कि स्मौल स्केल और कौटेज इडस्ट्री की बेसिस पर रेडियोज का धधा करती हैं उनको इस ड्यूटी से माफ कर दिया जाय। मैंने इसी हेतु एक संशोधन दिया है जिसमें कि यह मांग की गई है कि किन छोटे पमानें पर काम करने वाले एककों पर कर नहीं लगना चाहिये।

ऐसा छोटा धंधा करने वालों को इस कर से छूट मिलनी चाहिये। उनको आपसे सहायता प्राप्त होनी चाहिए और उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मैं अन्त में केवल इतना ही कह कर समाप्त करूंगा कि खुर्जे की पौटरीज, और रेडियो उद्योग जो कि कौटेज इंडस्ट्री के रूप में होता है उसको कर के भार से बचाया जाये और इस प्रकार से इन दोनों छोटे उद्योगों को खत्म होने से बचाया जाये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है जो कि सब के बाद में बोलने वाले सदस्य ने कही, हम अधिसूचना जारी कर चुके हैं और वे लोग उस रियायत के अन्तर्गत आते हैं। उन्हें और रियायत देने का सवाल नहीं उठता।

अभी तक रेडियो का प्रयोग देश की गरीब जनता नहीं करती इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि यह कर गरीबों पर लगाया गया है। १५० रुपये के नीचे के रेडियो को हम पहले ही

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

छूट दे चुके हैं। यदि बाद में कोई कठिनाई उठी तो उसी समय उस बात पर विचार किया जायगा।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : फार्म आदि भरने की प्रक्रिया से छोटे रेडियो निर्माताओं को काफी परेशानी होगी। क्या प्रक्रिया सरल नहीं बनाई जा सकती ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम सरल बना देंगे बशर्ते कि वह यह बतायें कि वे कितने सेट तैयार करेंगे। हम यह ध्यान रखते हैं कि शुल्क से किसी को परेशानी न हो। हम ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं।

काती हुई देशी ऊन पर छूट की बात भी कही गई। पर देशी और देशावरी ऊन में अन्तर का पता नहीं चलता। अतः ऐसा संभव नहीं है। यदि आगे चल कर कोई तरीका निकल आया तो अवश्य रियायत दी जायगी।

काती हुई ऊन की निर्दिष्ट दरें अवश्य घोषित कर दी गयी हैं। इससे व्यक्ति या तो निर्दिष्ट दरों के हिसाब से या फिर मूल्यानुसार दर के आधार पर कर अदा कर सकता है। मेरे विचार में निर्दिष्ट दरें ही ज्यादा लाभदायक हैं।

कालीनों की ऊन पर भी छूट मांगी गयी पर उसे दूसरी ऊन से अलग करना संभव नहीं है। वाणिज्य मन्त्रालय ने भी हमें ऐसी बात बताई है। निर्यातार्थ भेजे जाने वाले माल पर छूट अवश्य मिलती है।

जहां तक प्लास्टिक का सम्बन्ध है, छोटे कारीगर यह माल खरीदते हैं जिस पर शुल्क दिया जा चुका होता है। इस कारण वहां कर देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कर केवल एक ही जगह दिया जाता है।

रद्दी सामग्री पर और आगे कर न लगेगा। यह भी कहा गया कि कांच के वह कारखाने जिनमें ५ लाख तक पूंजी लगी है कर मुक्त होने चाहिएं। खेद है कि हम इस बात को नहीं मान सकते। हम सुविधायें कुटीर उद्योगों को दे रहे हैं। छोटे उद्योगों को सोच कर सहायता दी ही जा रही है। अभी हर चीज पर बराबर विचार करते रहेंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: छोटे पैमाने के उद्योग विकास प्रशाखा से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। इसलिये यह नहीं हो सकता कि बड़े उद्योगों के माल का विक्रय छोटे उद्योगों के माध्यम से हो।

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्य सारी चालों को नहीं जानते। हमें पता है इसी कारण हमें सारा काम सावधानी से करना पड़ता है।

बिजली के करघों पर हटने दो के क्रम से रियायत दी है। इसके बाद उन लोगों का मामला आया जो तीन या चार करघों को केवल एक ही पाली चलाते हैं। मैंने कहा था कि हम उन्हें भी छूट देंगे। पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि जिन्हें पहले रियायत दी गई है उन्हें न दी जायेगी। पहली पाली पर कई पाली के काम में रियायत न होगी। हमें आशा है कि इस चीज का पालन ईमानदारी से होगा। शेष किसी प्रकार का तरीका वहां चल नहीं सकता। इसी कारण दो करघों तक छूट दी गयी है। वास्तव में एक परिवार दो से अधिक करघों की व्यवस्था नहीं कर सकता

†मूल अंग्रेजी में

किन्तु मैं चार करघों तक चला गया हूं। यदि बाद में यह चीज प्रकट हो गयी कि तुलनात्मक दृष्टि से उन्हें कष्ट होगा तो उस समय हम उनकी कठिनाइयों पर विचार करेंगे। इस कारण मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १३, पंक्ति ३ में, " Coal tar " (कोलटार) के बाद ", " । लगाये जाये।

पृष्ठ १३, पंक्ति ४ में " Derivatives " के बाद ", " हटाये जायं।

पृष्ठ १३ में पंक्ति ९ से १३ के स्थान पर यह शब्द रखे जायें, " 'Defined in Clause (h) of section 3 of Drugs Act, 1940 (23 of 1940), Not containing Alcohol or opium, Indian hemp or other Narcotic Drugs or Narcotics."

[भेषज अधिनियम, १९४० (१९४० का संख्या २३) की धारा ३ के खंड (ज) में परिभाषित ; जिसमें मद्यसार या अफीम, भारतीय भग या गांजा या अन्य मादक औषधि या मादक द्रव्य न हों।]'

पृष्ठ १३, पंक्ति १५ में " Preparations " (तैयारी) के बाद यह जोड़िये :

"Not containing Alcohol or opium, Indian hemp or other Narcotic Drugs or Narcotics."

(जिसमें मद्यसार या अफीम, भारतीय भांग या गांजा अथवा अन्य मादक औषधि या मादक द्रव्य न हो।)

पृष्ठ १३, पंक्ति ३५ में " Cellophane " (सेलोफेन) के बाद यह जोड़िये :

"That is, any film or sheet of re-generated cellulose."

[अर्थात्, किसी भी प्रकार की फिल्म या रीजेनरेटिड सेलोल्यूज की चादर]

पृष्ठ १४, पंक्ति ३९ के बाद, स्तम्भ संख्या २ में यह जोड़िये :

"Expalnation : 'Chinaware' includes all glazed clay ware but does not include terracota."

[व्याख्या : "चीनी के बर्तन" इसके अन्तर्गत सारे ग्लेज्ड बर्तन सम्मिलित हैं परन्तु 'टेराकोटा' शामिल नहीं है।]"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या ४८ और ४९ सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

श्री आसर ने अपने संशोधन संख्या ४२, ४३, ४५, ४६ तथा ५१ सभा की अनुमति से वापस ले लिये।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मेरे संशोधन सभा के सामने रखे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६०, ६१, ६२ और ६३ सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**श्री प्रभात कार :** मैं भी अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं :

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५७, ५८ और ५९ सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**श्री बाल्मीकी :** मैं भी अपने संशोधनों पर आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७४ और ७५ सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

'खंड १३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।"

खंड १४ से १७

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड १४ के बारे में कोई संशोधन नहीं है । खंड १५ के बारे में जो संशोधन है उसके लिये राष्ट्रपति की अनुमति चाहिये । खंड १६–१७ के बारे में कोई संशोधन नहीं है । इसलिये मैं सब खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १४, १५, १६, और १७ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खण्ड १४, १५, १६ और १७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।"

प्रथम अनुसूची

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकारी संशोधनों के अलावा शेष संशोधन अनियमित हैं । सरकारी संशोधन यह है :—

किये गये संशोधन :—

पृष्ठ २४, पंक्ति १६ से १९ में यह हटाइए :

"at the rate of 22 per cent on so much of the total income as consists of dividends from an Indian Company, not being a subsidiary, formed and registered on or after the 1st day of April, 1959 and before the 1st day of April, 1961."

[उतनी कुल आय पर २२ प्रतिशत की दर से, जो कि किसी ऐसी भारतीय समवाय से प्राप्त लाभांशों से हो जो सहायक न हो और १ अप्रैल, १९५९ को या उसके बाद पर १ अप्रैल, १९६१ से पहले बनी और पंजीवद्ध हुई हो ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ २४, पंक्ति २० में "any" (कोई) के बाद "other" (अन्य) जोड़िये ।
पृष्ठ २४, पंक्ति २२ में "1961" (१९६१) के स्थान पर "1959" (१९५९) रखिये ।
पृष्ठ २६, ४४ से ५६ पंक्तियों के स्थान पर यह जोड़िये :

"(1) on the income from dividends (excluding dividends payable by an Indian Company referred to in section 56A of the Income Tax Act)—

(i) on dividends payable by any of its subsidiary Indian Companies formed and registered before the 1st day of April, 1961..Nil.

(2) on dividends payable by any other Indian Company formed and registered on or after the 1st day of April, 1959..... 10 per cent.

(3) On any other dividends.....33%".

(Shri Morarji Desai)

[(१) लाभांशों से प्राप्त आय पर (आयकर अधिनियम की धारा ५६क में उल्लिखित भारतीय समवाय द्वारा देय लाभांशों के अलावा) .....

(१) १ अप्रैल, १९६१ को या उससे पहले बने और पंजीबद्ध हुये उसके किसी सहायक भारतीय समवाय द्वारा देय लाभांश पर .....शून्य

(२) १ अप्रैल, १९५९ को या उसके बाद बने या पंजीबद्ध हुए किसी अन्य भारतीय समवाय द्वारा देय लाभांश पर १०%

(३) अन्य किसी प्रकार के लाभांशों पर—३३ %

(श्री मोरारजी देसाई)

†**श्री नागी रेड्डी :** बोनस-शेयरों के ऊपर लगने वाले कर के बारे में जो रियायत दी गयी है मैं उसका विरोध करता हूं । माननीय वित्त मंत्री स्वयं मानते थे कि इनके हस्तांतरण के बारे में सावधान रहना चाहिये । इस कारण यह रियायत उपयोगी नहीं है ।जब एक बार रियायत दे दी जाती है तो लोग और ज्यादा रियायत मांगने लग जाते हैं । इस कारण यह अनुचित है ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस बात का आश्वासन दें कि अब भविष्य में इस दिशा में और ज्यादा रियायत नहीं दी जायगी । यदि रियायतें दी जाती रहीं तो पूंजीपतियों की क्षुधा तीक्ष्ण होती जायगी और अर्थ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जायगी ।

इस कारण मैं इसका विरोध करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** जहां तक अधिकार का सम्बन्ध है इस समय हिन्दू अविभक्त परिवार की तथा एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आय पर समान दरों से कर लगता है । सीमा भी एक ही समान रखी हुई है । हम इसे घोर अन्याय समझते हैं । यदि एक हिन्दू अविभक्त परिवार में चार सदस्य हैं और उनकी आय चार लाख रुपये की है तो वह सब चारों में बराबर बराबर बंट जायेगी पर एक आदमी तो सारी आय का स्वामी होगा । इस कारण दोनों को एक ही आधार पर रखना गलत है । संविधान के अनुसार हमारे देश के नागरिकों में मतभेद नहीं होना चाहिए पर यही मत-भेद चल रहा है । यह बड़े दुख की बात है । सम्पदा-शुल्क के सम्बन्ध में भी हिन्दू अविभक्त परिवार

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को किसी प्रकार की छूट नहीं है जब कि एक साधारण परिवार को छूट दी गयी है। इस सम्बन्ध में मिताक्षर और दायभाग परिवारों में भी मतभेद है। इस प्रकार का मतभेद केवल इसी देश में देखने को मिलता है।

अधिकतम भूमि की सीमा के सम्बन्ध में भी अविभक्त हिन्दू परिवारों से मतभेद किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हिन्दू अविभक्त परिवारों के सदस्यों को इस देश का नागरिक ही नहीं माना जाता।

अंग्रेजों के काल में भी हिन्दू अविभक्त परिवारों और व्यक्तियों में उचित अन्तर किया जाता था। अविभक्त परिवारों को व्यक्तियों की तुलना में रियायत मिलती थी। पर अब कुछ भी विचार नहीं किया जाता। डा० जान मथाई ने जो रियायत दी थी उसे रद्द कर दिया गया है। हम संशोधन भी नहीं रख सकते और न ही राष्ट्रपति को प्रार्थना करने की अनुमति मिलती है। ऐसी दिशा में हम क्या करें।

अब सम्पदा शुल्क लगाते समय सरकार ने सम्पत्ति के विभाजन के आधार को स्वीकार कर लिया। जब यह चीज यहां स्वीकार कर ली गयी है तो आय कर के बारे में क्यों स्वीकार नहीं की जाती।

इसलिये मैं प्रथम अनुसूची का विरोध करता हूं। यह हमारे संविधान के विरुद्ध है और हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।

†**श्री मोरारजी देसाई** : बोनस शेयरों पर से जो रियायत दी गई है, उसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। वस्तुतः ३० प्रतिशत कर से सारा राजस्व चला गया था। समान हिस्तों को दृढ़ बनाने के लिए बोनस शेयरों को ठीक तरह जारी करना अवांछनीय नहीं है। इसीलिये दर १२ ½ प्रतिशत कर दी गयी है। इससे सरकार को ज्यादा आमदनी होगी।

यह कोई बड़ी रियायत नहीं है। एक रियायत पाकर दूसरी रियायत मांगना तो इन्सान की कमजोरी है। यदि रियायत न्यायोचित हो तो दी जानी चाहिए। चाहे उसकी मांग की गयी हो या न की गयी हो। यदि मांग की गयी हो तो भी कोई हरज नहीं है। पर यह कहना कि और रियायत मांगी जायेगी इसलिए सही रियायत भी न दी जाय, गलत है।

माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव हिन्दू अविभक्त परिवार के बारे में बहुत चिन्तित हैं। खेद है कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता जिसे पूरा न कर सकूं। इसी कारण इसका परीक्षण करने से लाभ नहीं। मुझे उनकी उत्सुकता से सहानुभूति है पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"प्रथम अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी म

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी ।

दूसरी अनुसूची

संशोधन किये गये :

पृष्ठ २८, पंक्ति १८ में "Entry" (प्रविष्टि) के बाद जोड़िये " or entries" (या प्रविष्टियां) ।

पृष्ठ ३०, पंक्ति १४ में, स्तम्भ २ में "china" (चीनी) के स्थान पर " chinaware" [चीनी मिट्टी का सामान] रखा जाय ।

पृष्ठ ३०, स्तम्भ २ में पंक्ति १९ के बाद जोड़िये :

"Explanation : 'Chinware' includes all glazed clayware but does not include terracota."

[व्याख्या : 'चीनी का सामान' इसमें सारे चमकदार मिट्टी के बर्तन शामिल हैं पर टेराकोटा वाले बर्तन नहीं ।]

पृष्ठ ३२, पंक्ति २८, स्तम्भ २ में "all sorts" (समस्त प्रकार) के बाद जोड़िये "namely" (अर्थात) ।

पृष्ठ ३३, पंक्ति ७, स्तम्भ २ में "Cellaphane" (सेलोफेन) के बाद जोड़िये "

"that is, any film or sheet of re-generated cellulose."

[अर्थ, कोई फिल्म या चादर जो रीजेनरेटिड सेलूल्योस की हो]

(श्री मोरारजी देसाई)

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये" ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : मैं विधेयक का समर्थन करती हूं। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले उत्पदान कर से मुक्त हैं पर गैर सरकारी क्षेत्र में यह नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के उपदान पर भी कर नहीं लगना चाहिए। मान लो एक गैर-सरकारी फर्म का एक हजार रुपया पाने वाला कर्मचारी आज सेवा निवृत्त होता है तो उसे १०,००० का उपदान मिलता है। इस प्रकार आखिरी वर्ष उसकी सालाना आय २२,००० हो जाती है। २०,००० से ऊपर आठ आना रुपया अधिक लगता है। इस हिसाब से उसे ११,००० रुपया कर के रूप में देना होगा। दस हजार उपदान ले कर वह ११,००० तो कर ही देगा तो उसे क्या लाभ होगा? इस कारण उन्हें भी कर से छूट मिलनी चाहिए।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि जो छोटे पैमाने पर चलने वाले कांच के उद्योग हैं उनकी तरफ वे अपना ध्यान देंगे और जांच करायेंगे, तथा कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जिस से छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता में कमी हो सके। मैं उन की इस भावना का जवाब देना चाहता था कि बड़ उद्योग वाले छोटे कारखानों में ले जा कर और अपने माल को वहां रख कर बेच देंगे। मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। आजकल जो सरकारी कानून हैं, चाहे विकास के सम्बन्ध में चाहे दूसरे, उन से यह कार्रवाई रोकी जा सकती है, और किसी भी छोटे कारखाने में बड़े कारखाने के माल को ले जा कर बेच देना सम्भव नहीं हो सकेगा मैं आशा करूंगा कि वित्त मंत्री महोदय इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जिस से छोटे पैमाने पर चलने वाले कांच के उद्योग को हानि न हो और वह बरबाद होने की दिशा में न जाये।

जब तृतीय पंच वर्षीय योजना के पहले बजट के कर प्रस्तावों को हम कानूनी रूप देने जा रहे हैं तो बरबस कुछ ऐसी चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, जिन के ऊपर देश की ततीय पंच वर्षीय योजना निर्भर करती है और जिन के ऊपर ध्यान दिये बिना, जिन समस्याओं का समाधान किये बिना, तृतीय योजना निर्बल हो सकती है। खास तौर पर जब से जनसंख्या के आंकड़ प्रकाशित हुए हैं तब से इस मुल्क में एक भावना पैदा हुई है कि जो तृतीय पंच वर्षीय योजना का प्रारूप है उस में कोई इस तरह के कारगर कदम नहीं हैं जिन से हम तृतीय पंच वर्षीय योजना काल के अन्दर पैदा हुई श्रम शक्ति को काम दे सकेंगे। यह प्रत्यक्ष है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ७० या ८० लाख लोग, जिन्हें काम चाहिये था, बेकार थे और उन को काम नहीं दिया जा सका। तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जैसा अन्दाजा लगाया गया था कि करीब डेढ़ करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि नई श्रम शक्ति होगी और जिन को काम देने की आवश्यकता होगी। अब जब से जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं तब से अनुमान लगाया जा सकता है कि चह संख्या डेढ़ करोड़ न हो कर १ करोड़ ७० लाख या १ करोड़ ८० लाख होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत करीब ढाई करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन को काम की आवश्यकता होगी और प्रारूप सिर्फ १ करोड़ ७५ लाख लोगों को काम दिलाने की व्यवस्था करता है। इस का नतीजा यह होगा कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के समाप्त होते होते मुल्क में बहुत बड़ी संख्या में बेकार बने रहेंगे और इस तरह उन लोगों को मौका मिलेगा कि वे देश में असन्तोष भड़कायें और देश की प्रगति में इस तरह से रुकावट पैदा करें। मैं चाहूंगा कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना के मसविदे को अन्तिम रूप दिया जाये तो सरकार इन सब बातों पर विचार करे और ऐसी नीति निर्धारित करे कि तीसरी योजना के अन्तर्गत जितनी श्रमशक्ति पैदा हो उस सब को काम दिया जा सके। जब इस श्रम शक्ति को काम देने

†मूल अंग्रेजी में

की बात आती है तो इस बात की तरफ ध्यान जाता है कि इस श्रमशक्ति को काम देने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाये । मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि इस श्रम शक्ति को काम देने के लिए सिवा इसके और कोई तरीका नहीं हो सकता कि छोटे उद्योगों को अधिक से अधिक फैलाया जाये । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक छोटे और गृहउद्योगों को बढ़ाने पर बल दे । और जहां ३०० औद्योगिक बस्तियों के निर्माण की व्यवस्था तृतीय योजना में करने का विचार है उसके स्थान पर सरकार को ६०० औद्योगिक बस्तियों का निर्माण करना चाहिए ताकि उनमें देश के अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके ।

इसी सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने यह नियम बनाया हुआ है कि जब तक किसी व्यक्ति को एक खास आमदनी नहीं होगी उस वक्त तक उससे कोई आयकर नहीं लिया जायगा । जिन लोगों पर इनकम टैक्स लगता है उनकी आमदनी कम से कम ३०० रुपया मासिक होनी चाहिए । लेकिन जो लोग खेती का काम करते हैं उन पर यह सिद्धान्त लागू नहीं किया जाता । उन पर आप अपना लगान सबसे पहले ले लेते हैं चाहे उनके पास दो बीघा जमीन हो, या तीन बीघा हो या दस या बीस बीघा जमीन हो । उनके बारे में आप यह नहीं देखते कि कर अदा करने के बाद इसके पास इतना बचेगा या नहीं जिससे कि यह अपना और अपने बच्चों का पालन कर सके, उनको शिक्षा दे सके, अपने लिए मकान बना सके और दूसरे आवश्यक खर्च कर सके । सरकार को कर का सिद्धान्त सब के लिए समान रखना चाहिए । कर लगाने का सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जो कर देने की क्षमता रखता है उसी से कर लिया जाय । लेकिन जो लोग खेती का काम नहीं करते उनके लिए तो सरकार का यह नियम है कि जब तक उनकी आय ३०० रुपये माहवार तक नहीं होती उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन खेती करने वालों के लिए यह नियम लागू नहीं किया जाता । मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि सरकार को इस मसले पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए और सब पर कर लगाने का सिद्धान्त समान होना चाहिए । लेकिन अभी यदि सरकार ऐसा न कर सके तो कम से कम मेरा सुझाव है कि उन खेतिहारों से तो कोई कर नहीं लिया जाना चाहिए जिनकी जोतें अलाभकर हैं । अगर सरकार मेरे इस सुझाव को मान लेती है तो सरकार को कोई विशेष नुकसान होने वाला नहीं है । हिन्दुस्तान में सरकार को लगान से करीब १०० करोड़ रुपये की आय होती है । यह सौ करोड़ कर देने वालों में से ८६ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास अलाभकर जोतें हैं । लेकिन जितनी कुल भूमि पर खेती होती है उसका केवल ५० प्रतिशत ही इन ८६ प्रतिशत लोगों के पास है और जो शेष १४ प्रतिशत किसान हैं उनके पास इस भूमि का ५० प्रतिशत भाग है । अगर सरकार इन ८६ प्रतिशत किसानों के लगान को माफ कर देती है तो सरकार को कुल राज्यों में मिला पर केवल ५० करोड़ रुपये की ही हानि होगी लेकिन ऐसा करने से हिन्दुस्तान के २२ करोड़ किसानों को राहत मिलेगी और वे भी सोचेंगे कि आज हिन्दुस्तान के आजाद होने के कारण उनको भी यह सुविधा मिली है । जब आप समाज के दूसरे वर्गों को अनेक विशेष सुविधाएं देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को सुविधा देना अत्यन्त आवश्यक है जिनके सहयोग से हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं । यह हम इन लोगों को सुविधाएं देंगे तो हम योजनाओं को सफल बनाने में इनका हार्दिक सहयोग प्राप्त कर सकेंगे ।

इसी सिलसिले में मुझे एक बात और कहनी है । आप अनेक चीजों का उत्पादन व्यय निश्चित करने के लिए टैरिफ कमीशन बनाते हैं जैसे कि सीमेंट के लिये, चीनी के लिये, लोहे के लिये, कपड़े के लिये या अन्य किसी चीज के लिये जो कि कारखानों में बनती है, लेकिन जो चीजें खेत में पैदा होती हैं, जिन को पैदा करने में हमारे देश की ७० प्रतिशत जनता लगी हुई है, उनका उत्पादन व्यय निश्चित करने के लिये सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, और जब यह सवाल सदन में

[श्री ब्रजराज सिंह]

उठाया जाता है तो सरकार की तरफ से यह कठिनाई बता दी जाती है कि यह समस्या इतनी जटिल है कि इसको सुलझाने के लिए हमारे पास कर्मचारी नहीं हैं। हम किस तरह से सारे किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन व्यय का हिसाब लगा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और यदि उसे तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि चाहे कोई माल कारखाने का बना हो या खेत में पैदा किया गया हो सब का सही उत्पादन व्यय निश्चित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री ब्रजराज सिंह : मुझे पांच मिनट का समय और दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पांच मिनट का तो कुल समय मांगा था, अब आठ मिनट हो चुके हैं। अब आप जल्द खत्म कीजिये।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर विचार करे कि जो चीज कारखाने में पैदा होती है और जो चीज खेत में पैदा होती है उन दोनों का उत्पादन व्यय निश्चित करने के लिए एक ही सिद्धान्त लागू किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत तकलीफ तो इस बात की है कि माननीय सदस्य थर्ड रीडिंग पर बिल्कुल नहीं बोल रहे, जो टैक्सों में रिवीजन किया गया है उनके बारे में कुछ नहीं कहा मगर दूसरी चीजों पर बोल रहे हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : आपने यह सिद्धान्त तै किया है कि फाइनेन्स बिल पर किसी भी विषय का ज़िक्र किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात शुरू में तो हो सकती है। मगर अब तो आप थर्ड रीडिंग पर बोल रहे हैं। इस वक्त तो आपको उन्हीं चीजों का ज़िक्र करना है जिनका आप थर्ड रीडिंग में कर सकते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : इन चीजों पर हिन्दुस्तान की तीसरी योजना की सफलता निर्भर करती है इसलिए मैं इन बातों पर जोर दे रहा था।

तो मैं कह रहा था कि कृषि जन्य पदार्थों की कीमत तै करने के लिए सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए। बार बार कृषि मंत्रालय की तरफ से इसका एलान भी किया गया पर ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री महोदय और प्लानिंग कमीशन इस प्रकार की कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं है और इसलिए यह कमेटी नहीं बन पा रही है। मैं समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के किसानों में भी आपकी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए उत्साह पैदा हो तो इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनको अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल। अब जो विदेशों से अन्न आ रहा है उससे लगता है कि हिन्दुस्तान में कृषि जन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी लेकिन इसका एक यह भी परिणाम होगा कि हमारे देश के किसानों की पैदावार की कीमत नीचे गिर जायगी और इस प्रकार उनको अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृषि जन्य पदार्थों का उत्पादन व्यय निश्चित करने के लिए एक कमेटी बनायी जाये क्योंकि जब तक किसानों को उनकी पैदावार का उचित दाम नहीं मिलेगा तब तक उनमें किसी प्रकार का उत्साह पैदा नहीं हो सकता।

मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। यह बात बार बार कही गयी है। मैं चाहता हूं कि हम को यह निश्चय कर लेना चाहिये कि भविष्य में हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का ढांचा क्या होगा। हमको अपनी योजना को सफल बनाने के लिए इस ढांचे को निश्चित कर देना आवश्यक है। इस विषय की जांच वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिए क्योंकि जब तक इसकी वैज्ञानिक ढंग से जांच पड़ताल नहीं होगी तब तक यह नहीं मालूम हो सकेगा कि किस कर का कितना भार आम जनता पर पड़ता है। जब तक इस तरह की जांच नहीं होगी तब तक हो सकता है कि जिनकी क्षमता कर देने की नहीं है उनसे कर अधिक वसूल होता रहे और किनकी कर देने की क्षमता है उनसे कर वसूल न किया जाये। कर वसूली का सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जिसमें जितना कर देने की क्षमता है उससे उतना ही कर वसूल किया जाये। इसलिए इसकी वैज्ञानिक जांच करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमको पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है तो देश में जो समाजविरोधी प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, उद्योग के क्षेत्र में और राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स देने के सम्बन्ध में, उन पर रोक लगाना आवश्यक है। ऐसा होने पर ही हम समाजवादी समाज की ओर बढ़ सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने इतनी बातें कह दी हैं कि इस वक्त मिनिस्टर साहब इनका जवाब कहां तक देंगे। माननीय सदस्य ने पचासों बातें इस वक्त उठायी हैं जिनका जवाब मिनिस्टर साहब नहीं दे सकेंगे।

†**श्री दे० बें० राव:** मैं इस अवसर पर आंध्र प्रदेश की कठिनाइयों का वर्णन सभा के समक्ष करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश के औद्योगीकरण की ओर सरकार पूरा ध्यान नहीं दे रही है। उसके बारे में उदासीनता है। आंध्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा कम पूंजी लगायी जाती है और तीसरी पंच वर्षीय योजना में भी आवश्यकतानुसार धन की व्यवस्था हमारे राज्य के लिए नहीं की जा रही है।

रेलवे विभाग ने भी आंध्र की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। वहां किसी प्रकार की नयी लाइन नहीं बन रही हैं। शिक्षा के मामले में भी आंध्र बहुत पीछे है। वहां एक भी नया कालेज नहीं बन रहा है।

इन सब बातों से यही प्रकट होता है कि सरकार अपनी उस नीति का अनुसरण नहीं कर रही कि देश का विकास संतुलित ढंग पर चलता रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आंध्र की ओर तवज्जह दी जाये और उसका भी समुचित ध्यान रखा जाय।

†**श्री मूलचंद दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं मंत्री महोदय से केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि हुक्के के तम्बाकू पर शुल्क घटाया जाये।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मैं भी डा० सुशीला नायर की बात का समर्थन करना चाहता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के उपदान पर कर नहीं लगना चाहिए। यह अन्याय प्रतीत होता है। उन लोगों को तो पेंशन भी नहीं मिलती। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आचार** (मंगलौर) : इस वर्ष के बजट की मुख्य बात यह है कि प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष करों का आधिक्य है। अप्रत्यक्ष करों ने उपभोक्ताओं को बड़ी हानि पहुंचायी है। कर लोगों का सामर्थ्य देख कर ही लगने चाहिएं।

यह ठीक है कि हमें योजना के लिए धन चाहिए और दोनों किस्म के कर लगाना भी आवश्यक है परन्तु हमें यह भी सोचना चाहिए कि रुपया कहां से आयेगा ?

मेरे विचार से यह उचित नहीं है कि हम ऐसे व्यक्तियों पर कर लगायें जिन की आय २५ रु० से ३० रु० मासिक तक हो। मैं समझता हूं कि प्रत्यक्ष कर हमारे देश में चरम सीमा में नहीं पहुंचे हैं। अभी उन लोगों पर और कर लगाने की गुंजायश है जो ३०० रु० ४००० रु० तक मासिक पाते हैं। इस सम्बन्ध में भारत की तुलना विदेशों से करना गलत है।

मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि वित्त मंत्री ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि जिनकी क्षमता न हो उन पर कर न लगाया जाये। इस आधार पर उन्होंने कुछ करों में रियायत भी की है ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार उन्हीं व्यक्तियों से कर लेगी जो कर देने में समर्थ हैं।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, फ़िनांस बिल के बारे में बोलते हुए माननीय सदस्यों ने जो बहुत सी बातें कही हैं, मैं ने उन को सुना है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ फैक्टस बताना चाहती हूं ।

मैं देखती हूं कि इनकम टैक्स, एक्सपेंडीचर टैक्स और गिफ्ट टैक्स से मिलने वाला एमाउंट साल-ब-साल घटता जा रहा है, क्योंकि लोग इस में चोरी करते हैं। मालदार लोग बहुत तेज़ चालाक होते हैं और जो ग़रीब होते हैं, वे बुद्धू होते हैं। विनोबा जी हमेशा कहा करते हैं कि आदमी बुद्धू बनने के बाद ग़रीब बनता है और चालाक बनने के बाद अमीर होता है। अमीर लोग हमेशा ऐसा रास्ता तलाश करते हैं, जिस से वे टैक्सों से बच सकें। वह रकम १५ लाख रुपये से घट कर अब १४ लाख रुपये हो गई है। ऐसे होने के वक्त रुपया घटता जा रहा है। बात यह है कि इनकम टैक्स के इंस्पैक्टर्ज़ बहुत चोरी करते हैं और यह काम खुल्लम-खुल्ला होता है। हमारे वित्त मंत्री जी अच्छे तजुर्बेकार हैं, हुशियार हैं, ग़रीबों के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम लोग ग़रीब ग़रीब चिल्लाते हैं, लेकिन उन के दिल में ग़रीबों के लिये दर्द है, यह मुझे मालूम है। परन्तु बात यह है कि पुराने राज में गुप्तचर बहुत एफ़िशेन्ट होते थे, लेकिन इस सरकार के गुप्तचर, इस सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत इनएफ़िशेन्ट हो गया है। बहुत हल्ला होने पर भी सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं आती है। आप दिल्ली में चल कर देखिये कि कई दुकानों पर दस हज़ार की कीमत का माल बेचा जाता है और एक हज़ार का हिसाब रखा जाता है। अगर उन से कहा जाये कि माल की रिसीट क्यों नहीं देते, तो वे कहते हैं कि सेल्ज़ टैक्स लगेगा। अगर हम रिसीट के लिये जोर देते हैं, तभी वे लिखते हैं। जैसा कि मैं ने अभी कहा, वे जितनी कीमत का माल बेचते हैं, उस से बहुत कम लिखते हैं, इसलिये उन का सेल्ज़ टैक्स बच जाता है। इसी प्रकार वे हर एक टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। कई मालदार लोग ऐसे हैं कि वे इंस्पैक्टर्ज़ और एडवोकेटस को अपना हिसाब दिखा कर उन से इस बात की राय लेते हैं कि कहां पर टैक्स बच सकता है। हम देखते हैं कि इंस्पैक्टर लोग जा कर बाद में उन के यहां काम करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि

†मूल अंग्रेजी में

जिस व्यक्ति को चोर को पकड़ने के लिये रखा गया है, वही जा कर चोरी सिखाता है । इस काम में इतनी गड़बड़ है । माननीय मंत्री जी को इस तरफ़ तवज्जह देनी चाहिए और जो लोग टैक्स बचाते हैं, उन के बारे में कार्यवाही करनी चाहिए ।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, ६० करोड़ रुपये के लिये सरकार ने इतना हंगामा मचाया हुआ है । मैं कहना चाहती हूं कि घर में कोई औरत डेफ़िसिट बजट नहीं बनाती है । अगर उस को तीस रुपये दें, तो वह एक रुपया बचाती है और अगर सौ रुपये दें, तो दो रुपये बचाती है । औरत कभी डेफ़िसिट बजट नहीं बनाती है । वह हमेशा सरप्लस बजट बनाती है । एक महिला भी माननीय मंत्री जी की सहायता कर रही है, जो कि डिप्टी मिनिस्टर हैं । अगर मंत्री जी को रुपये की ज़रूरत थी, तो उन को कहना चाहिए था । वह प्राइज़ बांडज़ से या किसी और प्रकार से इतना रुपया ला कर दे देतीं । इस बारे में इतना हंगामा क्यों मचाया हुआ है ? मेरा मतलब यह है कि जो तजुर्बेकार बहन हैं, उन से इस बारे में राय लेनी चाहिए ।

सरकार की तरफ से करोड़ों रुपये के प्लान बनते हैं, लेकिन जो चार चार हज़ार रुपया वेतन लेते हैं, उन्हीं के लिये ये प्लान बनते हैं । ग़रीबों के लिये कोई प्लान नहीं बनता है—जो सौ रुपया लेते हैं, उनके लिये कोई प्लान नहीं बनता है । सरकार की तरफ़ से कहा जाता है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न कायम करना चाहते हैं । क्या सोशलिस्टिक पैटर्न में लोगों के जीवन-स्तर और वेतनों में इतना फ़र्क होता है ? कभी नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है । हम लोगों को घर घर में इस बारे में जवाब देना पड़ता है । लोग हम को कहते हैं कि तुम सर्वोदय की बात करती हो, लेकिन यह क्या बात है कि एक को सौ रुपये मिलते हैं और दूसरे को चार हज़ार और उन में आपस में हमेशा बहुत फ़ासला रहता है और उस फ़ासले को कम करने की कोशिश नहीं की जा रही है । जो लोग स्ट्राइक करते हैं, तो उन का वेतन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी यह फ़ासला दूर नहीं होता है । मैं कहना चाहती हूं कि सरकार को यह नीति अपनानी चाहिए कि नीचे वालों को ऊपर लाया जाये, उन की इनकम बढ़ाई जाये और अमीरों को कंट्रोल किया जाये और इन दोनों वर्गों को एक दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश की जाये ।

देश में जो प्लान बनते हैं, उन के लिये सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से एड दी जाती है और तमाम स्टेटस मदद लेने के लिये आती हैं । मैं बताना चाहती हूं कि आन्ध्र प्रदेश अनाज के विषय में एक सरप्लस स्टेट है । पिछले दस साल से वहां एक कारखाना भी नहीं खुला है । वहां कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, कुछ नहीं है, नदियों पर बांध नहीं हैं । माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूं कि यह कब तक चलेगा । वहां पर कई लोग सीज़नल काम करते हैं और बाकी लोगों के पास कोई काम नहीं है और वे लोग बहुत ग़रीब हैं ।

हम देखते हैं कि शहरों में अनाज और तरकारी सस्ती मिलते हैं और गांवों में बहुत महंगे, दुगनी तिगुनी कीमत पर मिलते हैं । यह तो उल्टा मामला है । सब टैक्स, सब पैसा गांवों से और ग़रीबों से मिलता है और अमीरों से न सेल्ज़ टैक्स मिलता है और न वैल्थ टैक्स और इनकम टैक्स । ग़रीबों को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और उन का खर्च भी ज्यादा होता है । गवर्नमेंट को इस स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए ।

सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से स्टेटस को इनकम टैक्स वगैरह का जो शेयर दिया जाता है, वह पूरा साल नहीं दिया जाता है । स्कीम्ज़ बनती रहती हैं और साल के आखिर में, फ़रवरी में, वहां से सैंक्शन मिलती है । इसका परिणाम यह होता है कि तमाम रुपया लैप्स हो जाता है और कोई काम नहीं होता है और बड़ी फ़ज़ीहत होती है । परसों मैं हैदराबाद गई थी । वहां २८ मार्च

[श्री विभूति मिश्र]

पर आप जो खर्च करेंगे वह वेस्ट जायेगा। इस तेल को इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता है। आप मेरे साथ दिल्ली में ही चलिये और एक लालटेन खरीद लीजिये और उसमें इस इनफीरियर क्वालिटी के मिट्टी के तेल को जला कर देखिये कि आया एक अक्षर भी पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है। फिर आप बताइये कि जो मैं कह रहा हूं वह सही है या गलत है . . . .

श्री मोरारजी देसाई : मैं ने तो पढ़ा है।

श्री विभूति मिश्र : पहले पढ़ा होगा, आज नहीं पढ़ सकते हैं। जिस लालटेन में इस तेल को जलाया जाता है वह बहुत जल्दी काली हो जाती है। यह उस धुएं से होती है जो इस तेल को जलाने से निकलता है।

यह जो कामर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का वर्ष १९५९-६० का आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन है इससे पता चलता है कि १४४ लाख रुपये का इनफीरियर क्वालिटी का केरोसीन आयल बाहर से मंगाया गया है और सुपीरियर २१२० लाख का। पैट्रोलियम प्रोडक्टस ४२५७ लाख रुपये की मंगाई गई हैं। समझ में नहीं आता है कि इतनी अधिक पैट्रोलियम प्राडक्टस किस तरह से मंगा ली जाती हैं। क्या इन प्राडक्टस का इस्तेमाल गरीब आदमी करते हैं या धनी लोग करते हैं, पढ़े लिखे करते हैं। अगर इनको धनी लोगों की खातिर मंगाया जाता है तो इन पर आप टैक्स लगा कर जो १४२ लाख का आपको केरोसीन आयल पर टैक्स हटाने से नुक्सान होगा, उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो जो पांच करोड़ के करीब आप राजे महाराजाओं को देते हैं, और जिन के पास इतनी अधिक जायदाद है, आलीशान मकान हैं, उस १४२ लाख रुपये की कमी कर सकते हैं। क्या आपने उनको प्रिवी पर्स देना जारी रखा हुआ है ? हम ने स्वराज्य की लड़ाई क्या इसलिए लड़ी थी, कि उनको प्रिवी पर्स दिये जायें और क्या इन प्रिवी पर्सिस को बन्द करवाने के लिए हमें और एक लड़ाई लड़नी होगी ? १९२० से आज तक हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। क्या हम इसके साथ इसलिए हैं कि राजे महाराजाओं के प्रिवी पर्स चलते रहें। इनके पास आलीशान इमारतें, धन दौलत तथा सभी आराम व आसाइश की चीज़ें मौजूद हैं लेकिन फिर भी पांच करोड़ रुपये इनको प्रिवी पर्स के रूप में क्यों दिये जा रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इनके मुकाबले में आप गांव के मजदूर को देखिये, किसान को देखिये, उसकी क्या हालत है और कितना पिछड़ा हुआ वह है। जो गांव में काम करता है वह सारा दिन मजदूरी करके दो ढाई सेर गल्ला मुश्किल से पाता है और उसको रात और दिन दोनों टाइम खाता है और शाम को डेवरी जला करके रोशनी अपनी झोंपड़ी में करता है। जिस तेल का वह इस डेवरी को जलाने में इस्तेमाल करता है, उस पर भी आप टैक्स लगा दें, यह कहां तक मुनासिब है ? वित्त मंत्री जी वहां से आते हैं जहां गांधी जी पैदा हुए थे और मैं आशा करता हूं कि वह गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए कैरोसीन आयल पर जो टैक्स लगाया गया है उसको अब भी वापिस ले लेंगे।

अब मैं डिसपैरिटी आफ इनकम्ज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भावनगर कांग्रेस में भी मैंने इस विषय को उठाया था और कहा था कि जिस तरह की पालिसी आपकी है, उससे यह इकम्ज़ की डिसपैरिटी मिटने वाली नहीं है। एक तरफ तो वे सरकारी नौकर हैं जिन को चार-चार हज़ार महीना तनख्वाह मिलती है और दूसरी तरफ वे गांवों के लोग हैं जिन को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता है। हम लोग भी हैं जिन को चार सौ रुपया महीना और २१ रुपये रोज जब सैशन होता है मिलते हैं। गांव वालों से आप कहते हैं कि वे पैदावार बढ़ायें। यह सही बात है।

वे लोग ही हैं जोकि पैदावार बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन लोगों की क्या हालत है इस ओर भी आका ध्यान जाना चाहिये। उनका जीवन स्तर भी आपको ऊंचा करना चाहिये। वहां जो गरीब है उसकी लेबर को धनी आदमी इस्तेमाल करके और धनी हो जाता है और वह बेचारा भूखों मरता है। और भी कई वर्गों के लोग गांवों में हैं जिनको भर पेट खाना नहीं मिलता है। दिल्ली यूनिवर्स्टी के जो पहले वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा है एक व्याख्यान में कि एलाइट लोग जो हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, उनके खर्चों को आप घटायें और जो गरीब हैं उनके जीवन स्तर को उठायें। समझ में नहीं आता है कि आप इस बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो कि ४०० रुपया महीना और २१ रुपया रोज जब सैशन होता है, पाते हैं, इतने पैसे क्यों हमें दिये जाते हैं। वह गरीब आदमी जो अपने श्रम को बेचता है और जिसको भर पेट खाना नहीं मिलता है, जो अशिक्षित है और जिसको अगर कभी कपड़ा खरीदना होता है तो किसी होशियार आदमी की सहायता प्राप्त करनी पड़ती है उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

अब मैं शूगर फैक्ट्रीज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ४५ करोड़ रुपया आपको शूगर से एक्साइज़ डयूटी के तौर पर मिलता है। शूगर फैक्ट्रीज़ के बारे में जो आपकी पालिसी है उसको आपको बदलना होगा। उस बिना पर जिस बिना पर आप स्टील फैक्ट्रीज़ या काटन फैक्ट्रीज़, क्लाथ मिल्ज़ को चलाते हैं, इन्हें नहीं चला सकते हैं। शूगर फैक्ट्रीज़ के बारे में मालिकों और मजदूरों के झगड़ों का निबटारा करने के लिए आपको कोई और इंतिजाम करना होगा। हमारे यहां एक फैक्ट्री है जिसमें हड़ताल हो गई है। उसका नतीजा यह निकला है कि पिछले एक महीने में १२ लाख मन गन्ना नहीं पेरा जा सका है। अब वह गन्ना मई या जून में पेरा जायेगा। इसका नतीजा यह होगा कि रिकवरी कम हो जाएगी और चीनी का उत्पादन उतना ही कम होगा। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि लोहे के कारखानों की तरह से या दूसरे कारखानों की तरह से आप इन शूगर फैक्ट्रीज़ को ट्रीट न करें। डिफ्रेंटली इनको ट्रीट करें ताकि इनका काम चल सके। नहीं तो सीजन के वक्त में शूगर फैक्ट्रीज़ के बन्द हो जाने से नतीजा यह होता है कि गन्ना नहीं पेरा जाता है। गन्ना न पेरे जाने के कारण किसानों को घाटा होता है और सरकार को भी घाटा होता है। उसे जितनी डयूटी मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिलती है। हमको इस तरह से उपाय सोचने चाहियें जिनसे किसी शूगर फैक्ट्री में हड़ताल न होने पाये।

बस मुझे यही कहना है।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, हम ने दो योजनायें खत्म कर लीं और तीसरी योजना आरम्भ करने जा रहे हैं। योजना के मुताबिक वास्तव में यह होना चाहिये कि गांवों में तरक्की आये क्योंकि इस देश में ८० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन गांवों की दशा बराबर बिगड़ती जा रही है, गरीबी बराबर बढ़ रही है और एक चीज खास तौर पर देखने योग्य है कि गांवों के अन्दर लोगों की तबियत खेती की तरफ से हटती जा रही है क्योंकि उनको खेती करने का जो उचित मुआवजा मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, यही वजह है कि खेती की तरफ से उनकी तवज्जह हटती जा रही है। यह बहुत ही दुःख की बात है, और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर विचार करे।

जब योजना का कभी जिक्र होता है तो शहरों की तरक्की की तरफ गौर होता है। दिल्ली के लिये मास्टर प्लैन बनते हैं, बम्बई के लिये मास्टर प्लैन बनते हैं, लेकिन गांवों के लिये कोई प्लैन नहीं बनती। अभी ५ लाख ५८ हजार गांवों में से सिर्फ ६,००० गांवों को छांटा गया है जिनको हाउसिंग फैसिलिटीज दी गई हैं। जो लोग गांवों में खेती करते हैं उनको सिर्फ १५०० रु० मकान

[श्री मोहन स्वरूप]

के लिये मिलते हैं जब कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबरर को ६,००० रु० मिलते हैं और उसमें भी आधी सब्सिडी होती है और आधा लोन होता है, लेकिन किसानों को पूरा रुपया लोन ही मिलता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के साथ जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है वह नहीं होना चाहिये। किसान भी मेहनतकश होते हैं और मजदूर भी मेहनतकश होते हैं, इसलिये किसानों और मजदूरों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिये। उन्हें हाउसिंग के सिलसिले में और दूसरी चीजों के सिलसिले में फेसिलिटीज मिलनी चाहियें।

इसके साथ साथ मैं अर्ज करूं कि तमाम चीजों की प्राइसेज बढ़ रही हैं। इस वक्त मेरे पास स्टैटिस्टिकल हैंडबुक है, उसमें बतलाया गया है :

कि १९५८–५९ में देशनांकों में पहले वर्ष की अपेक्षा ४.५ की वृद्धि हुई।

इसी तरह से और चीजों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन जब गल्ले की कीमतों के बारे में कहा जाता है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। मैंने बारहा कहा, किसानों की तरफ से बार बार मतालबा किया जाता है कि गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिये, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्राइस फिक्सेशन बोर्ड की फौरन स्थापना की जाय जिसमें किसानों के नुमाइन्दे हों, और वह सही तरह से गन्ने और अनाजों की कीमत को फिक्स करें। अगर यह नहीं होता है तो कुछ बनने वाला नहीं है।

इसी के साथ साथ मैं अर्ज करूंगा कि चूंकि अभी देश में गन्ने का उत्पादन कम हुआ है इसलिये जहां पर मिलें हैं वहां पर मजदूरों में बेचैनी फैली हुई है। अभी हमारे यहां पीलीभीत मिल का एक मजदूर जेल में बन्द है और एक भूख हड़ताल पर है। कुछ मजदूर दरवाजे पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैंने अभी एक ऐडजर्नमेंट मोशन रखा था, लेकिन आपने उसे मंजूर नहीं किया। मैं चाहता हूं कि वेज बोर्ड की जो रिकमेन्डेशन्स हैं उनको फौरन इम्प्लिमेंट किया जाय ताकि मजदूरों को उससे जो लाभ होने वाला है, वह उन को मिल सके। एक तरफ हालत यह है कि मिल मालिक चिल्लाते हैं शुगर की कीमत के बारे में और दूसरी तरफ हालत यह है कि जो गन्ना मिलों में जाता है उसकी कीमत वह नहीं देते। लाखों रुपया मिलों में पड़ा हुआ है। बरेली में मिल है वहां २० या २५ लाख रुपया किसानों का पड़ा हुआ है। इस तरह से मिल मालिक रुपया किसानों को दे नहीं रहे हैं। वैसे ही किसान को बड़ी बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं फिर अगर उनको गन्ने की कीमत न मिले तो किस तरह से उनका गुजारा चल सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर विचार करे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मिलों में तैयार होने वाली चीजों में और खेतों में तैयार होने वाली चीजों की कीमतों में कुछ अनुपात होना चाहिये। आज हम देखते हैं कि जो मिलों में बनने वाली चीजें हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं और किसान जो अनाज उत्पादन करता है उसकी कीमत बहुत कम है। इन में कोई न कोई रेशियो होना चाहिये।

फिर मैं चाहता हूं कि गांवों में बिजली की ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाय, छोटी छोटी काटेज इंडस्ट्रीज का ज्यादा से ज्यादा प्राविजन हो और टेकनिकल नो हाऊ के लिये टेकनिकल स्कूल भी हों। अगर यह सब बातें हों तो इन से गांवों के किसानों का भला हो सकता है।

अफीम के उत्पादन के सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर अफीम काफी मेकदार में होती है, मेरा मतलब बरेली और पीलीभीत से है। फिर अफीम की स्मग्लिंग

भी बहुत ज्यादा है। रतलाम में कई लाख रुपये की अफीम पकड़ी गई। जितनी स्मगलिंग अफीम की होती है उतनी शायद किसी और चीज की नहीं होती है। सूरते हाल यह है कि जब किसानों से अफीम ली जाती है तो वह ३० रु० सेर के हिसाब से ली जाती है और गवर्नमेंट उसको गाजीपुर के शोध कारखाने में साफ करके ३०० रु० में देती है। स्मग्लर्स उसको १००० और १५०० रु० सेर तक बेचते हैं। यह चीज बहुत गलत है। इसमें कुछ रेशियो होना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर किसानों को उसका दाम १५० रु० सेर के हिसाब से मिले तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि एक तरफ तो उसका स्मग्लिंग से बचाव हो और दूसरी तरफ किसान को उसके माकूल दाम मिलें और वह स्मग्लिंग की तरफ न जाय, और सरकार को भी जहमत नहीं होगी। अफीम का उत्पादन जो हो रहा है वह भी अच्छी तरह होगा।

अब मैं तम्बाकू के बारे में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो समझा था कि आप अफीम के नशे में ही खत्म कर देंगे।

श्री मोहन स्वरूप : मैं तम्बाकू के विषय में यह कहना चाहूंगा कि इसके सिलसिले में किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। तम्बाकू एक ऐसी चीज है जिसका गरीब लोग भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह खेत में हल चलाते हों चाहे मेहनत करते हों। हर एक आदमी थोड़ा सा आराम करने के लिये तम्बाकू पीता है। हालांकि मैं तम्बाकू नहीं पीता हूं लेकिन गांवों की जिन्दगी में तम्बाकू बहुत जरूरी चीज बन गई है। अगर कोई एक बिस्वा में भी तम्बाकू अपने खेत के सामने बोले या घर के सामने लगा ले तो तम्बाकू की एक्साइज वाले उस को तंग करते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई आदमी एक बिस्वा या आधा बिस्वा में तम्बाकू बोले, जो कि तिजारत के लिहाज से उसे नहीं बोता है, तो कम से कम उसको एक्साइज से छूट दी जाय।

इसके साथ ही मैं गांजा और चरस के बारे में अर्ज करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सारे नशों की बात को आप थर्ड रीडिंग में लायेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री मोहन स्वरूप : इसमें स्मग्लिंग बहुत ज्यादा होती है। कई पेपर्स की कटिंग्स मेरे पास हैं जिनमें बतलाया गया है २ करोड़ रु० का गांजा और चरस नेपाल से टनकपुर होकर मेरी कांस्टिटुएंसी में आता है। इस तरफ गवर्नमेंट को तवज्जह देनी चाहिये कि गांजा और चरस की जो स्मग्लिंग हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके। इससे गवर्नमेंट को लाजिमी तौर पर फायदा होगा और जो खामखाह जरायम होते हैं उनमें रुकावट होगी।

अन्त में मैं ज्यादा न कह कर यही अर्ज करना चाहूंगा कि मुल्क में एक तरफ अमीरी बढ़ रही है दूसरी तरफ गरीबी बढ़ रही है। इस तरह से प्लेन्स को बनाने से कोई लाभ नहीं होगा अगर हम गरीबी को दूर नहीं कर सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी एकानमी कर्जों और टैक्सों पर चल रही है। उनको गौर कर के कम किया जाय और गरीबी को दूर करने के लिये ज्यादा से ज्यादा स्टेप उठाये जायें।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (औरंगाबाद) : यह बजट तीसरी पंचवर्षीय योजना की आधारशिला है। इस कारण सभा ने इस सम्बन्ध में काफी दिलचस्पी दिखाई है।

†मूल अंग्रेजी में

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

मैंने पिछले वर्ष कहा था कि हमारी योजनाओं की सफलता प्रशासन व्यवस्था पर निर्भर है। निस्संदेह प्रशासन व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है तथापि अभी भी इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जो अपनी शक्ति के लिये प्रसिद्ध हैं इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे।

हमें आय की विषमताओं को दूर करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास की विषमता को दूर करने की दिशा में भी प्रयत्न करना है। वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में हमें आश्वासन दे दिया है। अतः हमें इस सम्बन्ध में शिकायतें न कर पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में अपना सहयोग देना चाहिये।

आंध्र का तेलंगाना क्षेत्र बहुत ही गरीब इलाका है। वहां के किसान बहुत दयनीय स्थिति में रह रहेहैं, तथापि यदि इस क्षेत्र का उचित तरीके से विकास किया जाये तो यह राज्य भारत के समृद्धि-शाली राज्यों में से एक हो सकता है।

इसी प्रकार मराठावाड़ा क्षेत्र भी बहुत अविकसित है। जब भी हम ने इस क्षेत्र के लिये रेलवे लाइनें बिछाने की मांग की या यहां सिंचाई परियोजनाओं की मांग की, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तथापि हम योजना में स्पष्ट लिख चुके हैं कि विभिन्न क्षेत्रों की विषमतायें तथा समाज के विभिन्न वर्गों की विषमतायें दूर करने का प्रयत्न किया जायगा। अतः मैं आशा करता हूं कि इन अविकसित इलाकों की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जायगा। वस्तुतः यह समय हमारे देश के लिये बहुत कठिन है। हम ने अपने विकास के लिये लोकतंत्रात्मक प्रणाली अपनायी है हम चाहते हैं कि हमें इस में सफलता मिले क्योंकि इस की सफलता में केवल भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में लोकतन्त्र का भविष्य निर्भर करता है।

मैं श्री अशोक मेहता की इस बात से सहमत हूं कि केवल संपत्ति का उत्पादन करना ही काफी नहीं है, अपितु उसे समाज के सब से शोषित वर्ग तक पहुंचना चाहिये। जब तक हम अपने विकास कार्यों से उन के कष्टों का निवारण नहीं कर सकते हैं तब तक देश में वह उत्साह नहीं पैदा हो सकता है जो इस प्रकार के विकास कार्यों के लिये आवश्यक है।

†**श्री प्र० चं बरुआ** (शिवसागर) : मैं वित्त मंत्री को ऐसे साहसपूर्ण बजट के लिये बधाई देता हूं। योजना के अधीन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये हमें १२४० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उस के लिये अंशतः व्यवस्था करने के लिये उन्हों ने कुछ नये कर लगाये हैं। उन से हमें ६३.१७ करोड़ रुपये की आय होगी। इस में से केवल ३ करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों से आयेंगे और अवशेष पूरी राशि अप्रत्यक्ष करों से आयेगी। इस में सन्देह नहीं है कि अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव गरीब जनता पर पड़ता है।

मैं चाय के ऊपर लगाये गये उत्पादन और निर्यात शुल्क के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हमें यह जानना चाहिये कि चाय उन पदार्थों में से है जिन से हमारे देश को सब से अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। दूसरे यह कि चाय के उद्योग में लगभग १० लाख व्यक्ति काम करते हैं अन्य दस लाख व्यक्ति इस उद्योग में आंशिक रूप से काम करते हैं। तीसरे यह कि इस के संचालन में हमें जरा भी विदेशी मुद्रा व्यय नहीं करनी होती है। इस के बावजूद भी वित्त मंत्री ने इस के उत्पादन में ८ नये पैसे प्रति किलोग्राम

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन शुल्क लगा दिया है। साथ साथ निर्यात संवर्धन के रूप में इस के निर्यात पर निर्यात शुल्क में ९ पैसे प्रति किलोग्राम की छूट दी गई है।

उत्पादन शुल्क के लिये चाय को चार खंडों में वितरित किया गया है। खंड ३ (ख) में जहां से निर्यात की जाने वाली चाय का अधिकांश प्राप्त होता है वहां चाय पर २७ से ३५ नये पैसे प्रति किलो ग्राम उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

भारतीय चाय का आधिपत्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से उठता जा रहा है। यदि हम चाय के निर्यात में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम यह उत्पदन शुल्क हटा लेवें। इस का यह परिणाम होगा कि भारतीय चाय अन्य देशों की चाय के साथ प्रतिद्विन्दता करने में समर्थ हो जायेगी।

वित्त मंत्री ने यह इच्छा प्रकट की है कि चाय की खपत देश में कम की जाये। इस के पूर्व सरकार चाय की खपत देश में बढ़ाने के पक्ष में थी। मेरे विचार से देश में चाय की खपत को कम करने का चाय के निर्यात पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं होगा। वस्तुतः यदि हम चाय की निर्यात बढ़ाना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि निर्यात की जाने वाली चाय पर जो उत्पादन शुल्क लगाया गया है वह वापस ले लिया जाये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं केवल महत्वपूर्ण बातों पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हुक्के या खाने के काम में आने वाली तम्बाकू के लिये जो कुछ किया गया है उस से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं पैदा होगी। वस्तुतः इस तम्बाकू को बीड़ी के तम्बाकू के साथ मिला कर बहुत करापवंचन किया जाता था, अतः यह कार्यवाही करनी पड़ी। अतः जो लोग हुक्का पीते या तम्बाकू फांकते हैं उन पर इस शुल्क का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जहां तक आन्ध्र की उपेक्षा करने का प्रश्न है मैं यह बताना चाहता हूं कि देश का केवल वही भाग गरीब नहीं है। वस्तुतः सारा देश गरीब है और सारे देश का विकास करना होगा। समय आने पर सभी क्षेत्रों का विकास किया जायेगा अतः हमें दूसरे क्षेत्रों के सम्बन्ध में पूर्ववर्तिताओं का विचार करना चाहिये। जब सभी लोग दूसरे के बारे में सोचेंगे तभी अपने क्षेत्र का भी विकास हो सकेगा।

यह कहना भी गलत है कि गांवों की उपेक्षा की जा रही है। गांवों में सड़कें बनायी जा रही हैं, परिवहन के साधनों का विकास किया जा रहा है, सिंचाई के लिये नहरें बनायी जा रही हैं। कई नयी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, इन कामों में करोड़ों रुपये व्यय किये जा रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि गांवों का इस सीमा तक विकास किया जाय कि लोग गांवों में रहने को इच्छुक होवें। तथापि हम गांव और नगर के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं करना चाहते हैं।

मेरे विचार से इस वित्त विधेयक से भी उस अंश तक सभी को संतोष होगा जिस अंश तक एक वित्त विधेयक से किसी को संतोष हो सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति

तिरास्सीवां प्रतिवेदन

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबधी समिति के तिरास्सीवें प्रतिवेदन से, जो १९ अप्रैल, १९६१ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों संबंधी समिति के तिरास्सीवें प्रतिवेदन से, जो १९ अप्रैल, १९६१ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री झूलन सिंह द्वारा २४ मार्च, १९६१ को प्रस्तुत किये गये निम्न-लिखित प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि भारत में तेलों को जमाये जाने से रोकने तथा तत्संबंधी अन्य बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

(धारा १४ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री सुब्बया अम्बलम् द्वारा ७ अप्रैल, १९६१ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। इस के उद्देश्य तथा कारणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस का उद्देश्य विधवाओं को मिले हुए अधिकारों के दुरुपयोग करने से रोकना है।

१९५६ के उत्तराधिकार अधिनियम से हिन्दू विधवाओं को उन को मिली हुई सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है। इस से इस अधिकार का दुरुपयोग भी आरम्भ हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उदाहरणार्थ एक विधवा की तीन पुत्रियां हैं। तीनों का विवाह हो चुका है। वह अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग अपनी एक पुत्री तथा अपने दामाद को दे देती है। इस प्रकार उस की दो पुत्रियां तथा दामाद उस संपत्ति से वंचित रह जाते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि इस प्रकार का दुरुपयोग नहीं होने पावे। इस विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि विधवा तथा पुत्रियों को सम्पत्ति पर समान अधिकार हो तथा यदि सम्पत्ति का नेकनियती से हस्तान्तरण किया गया हो तो वह भी वैद्य ठहराया जाय।

अनुभवी न्यायशास्त्रियों की यह राय है कि इस प्रकार के संशोधन से इस अधिनियम का वास्तविक दुरुपयोग उद्देश्य भी पूरा हो जायेगा और यह अधिक न्यायोचित भी होगा।

मेरा सुझाव है कि विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किया जाय, जिस से हम इस संबंध में विभिन्न विधि जीवी संस्थाओं की राय जान सकें।

†**श्री नरसिंहन** (कृष्णगिरि): मैं प्रस्तावक महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक के परिचालन करने संबंधी संशोधन को स्वीकार कर लें। मैं विधि मंत्री से भी यह निवेदन करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक छोटी सी अर्ज करनी है। यह मसला धर्म से ताल्लुक रखता है और हमारी जो पार्लिमेंट है, यह सेक्युलर पार्लिमेंट है। मेरे ख्याल में इस को अख्तयार नहीं है कि हिन्दु धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म या किसी और धर्म के बारे में कोई कानून बना सके।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं इस विधेयक पर राय जानने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं।

अन्य मंत्रालायों में इस संबंध में जो कुछ भी हुआ है उससे मैं अपने को पृथक् नहीं करता हूं, तथापि मैं श्री नरसिंहन् की इस बात से सहमत हूं कि गैर-सरकारी कार्य-काल का उपयोग देश की व्यक्तिगत विधियों की जांच के लिये किया जाये, जिससे कि हम उस स्वतन्त्रता को और अधिक व्यापक बना सकें जिसे देश की अबलाओं या शोषित व्यक्तियों ने प्राप्त किया है।

मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मेरी कार्यविधि में यह चौथा या पांचवां विधेयक है जिसे परिचालन के लिये स्वीकार किया गया है।

इस संबंध में सभा के नारी सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह उचित है। वस्तुतः कठिन संघर्षों के पश्चात ही हिन्दू नारी को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हुआ है। हिन्दू विधि के कुछ प्रमुख न्याय शास्त्रियों तथा कुछ महिला तथा पुरुष सुधारकों के अनवरत परिश्रम का ही यह फल है कि हम हिन्दू विधि में सुधार करने में समर्थ हुए हैं।

कुछ लोगों का मत है कि हिन्दू नारी को जो अधिकार दिये गये हैं उनकी वृद्धि करने की अभी और गुंजायश है। तथापि किसी भी प्रश्न को पुनः उठाने में खतरे की गुंजायश होती है। अतः महिला सदस्यों को यह सन्देह था कि कहीं ऐसा न हो कि इस प्रश्न को पुनः उठाने से उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप न हो जाये। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि कोई ऐसा प्रयत्न होता तो मैं अवश्य इसका विरोध करता।

---

† मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक की दोनों धाराओं का सभा में उल्लेख हो चुका है। यदि किसी हिन्दू की वसियत रहित मृत्यु होती है तो इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् उसकी सम्पत्ति उसके पुत्र, पुत्री और विधवा को एक साथ प्राप्त होगी। दूसरा संशोधन धारा १४ का किया गया है। जिसके अनुसार हिन्दू विधवा को उसके पति के वसियत रहित मरने पर सपत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व सम्पत्ति पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था। पुत्रियों को केवल प्रत्यावर्तन का अधिकार होता था। माता की मृत्यु अथवा उसके अधिकार छोड़ने के पश्चात् ही पुत्री सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बन सकती थी।

यह बात पुत्र पर लागू नहीं होती है क्योंकि यदि कोई पुत्र होता है तो पुत्र और माता को एक साथ अधिकार प्राप्त होता है। पुत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार इस अधिनियम के पूर्व पुत्री केवल भावी स्वामिनी थी जो कि माता की मृत्यु के पश्चात् ही उस सम्पत्ति की स्वामिनी बन सकती थी।

धारा १४ के परिणामस्वरूप अब मामला स्पष्ट हो गया है। हिन्दू विधि में तो पुत्र और पुत्री के अधिकारों में अन्तर रखा ही गया है। ऐसी कोई बात प्रतीत तो नहीं होती कि विधेयक में महिलाओं के अधिकार कम करने की कोई कोशिश की गयी हो। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि इस दिशा में कोई बात की गयी तो सरकार इसका विरोध करेगी।

यह बात भी गलत है कि विधेयक में कोई कमी अथवा परस्पर विरोध है अथवा अधिनियम के एक भाग में और दूसरे भाग में कोई असंगति है। यह कहा जा सकता है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार नहीं दिये गये हैं किन्तु अधिनियम बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। हमें प्रयोग करके देखना चाहिये कि क्रियात्मक रूप में इस अधिनियम का प्रशासन कैसे चलता है। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय से लेकर छोटे न्यायालयों तक किसी ने भी इस विधि का प्रयोग नहीं किया। विधेयक में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठे हैं, उनके सबध में सरकार उस समय विचार करेगी जब इस पर सभी दिशाओं से राय प्राप्त हो जायेगी। अभी तो मेरा इतना ही निवेदन है कि सरकार को विधेयक को परिचालित करना स्वीकार है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** (रामनाथपुरम्) : मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि मेरे संशोधन का समर्थन किया है। मुझे इससे बहुत संतोष है कि विधेयक पर जनता की राय जानने के लिये उसे परिचालित करने का संशोधन स्वीकार हो गया है। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक १९५६ के मूल अधिनियम के वास्तविक उद्देश्यों को व्यापक बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न करता है।

यह धारणा भी गलत है जो कि इस विधेयक के बारे में फैलाई गयी है कि यह विधेयक महिलाओं को सम्पत्ति में जो अधिकार है उससे उन्हें वंचित करना चाहता है। मैं निवेदन करूंगा कि विधेयक को जनमत के लिये परिचालित किया जाये और इस मामले में सभी मत १ अगस्त १९६१ तक प्राप्त हो जाने चाहियें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को १ अगस्त, १९६१ तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समुदाय के जीवन के लिये अत्यावश्यक पण्य के मूल्यों का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य सरकार को यह अधिकार देना है कि वह सभी अत्यावश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करे। जो लोग इस निर्धारित मूल्य से अधिक पर उन वस्तुओं को बेचे, उन्हें दंड दिया जाय।

(श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए)

इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश में मजदूरों की कुल आय में वृद्धि हुई है। परन्तु साथ ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भी काफी वृद्धि हो गयी है, अतः इस आम वृद्धि का कुछ महत्व नहीं रह गया। आज इस दिशा में जो परिस्थिति है, उसे देखते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ा। एक समिति नियुक्त की गयी है जो इस बात की जांच करेगी कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है, वह कहां गयी है।

दूसरे विश्व युद्ध के समय में जब चीजों का मूल्य असाधारण रूप से बढ़ा था तो अस्थायी तौर पर महंगाई भत्ता देने की प्रथा आरम्भ की गयी थी। उस समय से लेकर आजतक मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही, इसका परिणाम यह हुआ कि महंगाई भत्ता एक स्थायी प्रथा के रूप में हमारे सामने आ गया। हमारे सरकारी प्रवक्ता समय समय पर यह कहते आये हैं कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। यह बात ठीक है, परन्तु हमें इस बात की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि मूल्यों में जो वृद्धि हुई वह आर्थिक नियमों के अनुसार नहीं थी। हमारा ध्यान इस बात की ओर भी जाना चाहिये कि अत्यावश्यक वस्तुओं की उत्पादन लागत तथा उनके बाजार दर में कोई अनुपात ही नहीं है। देश में अत्यावश्यक वस्तुओं का बड़ा भंडार होने के बावजूद भी उनके मूल्य बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं। यह बात भी ठीक है कि व्यापारी लोग कृत्रिम अभाव भी पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार स्वयं लाभ कमाने के साधनों का निर्माण करते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को लोगों को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिये उपाय ढूंढने होंगे। उदाहरण के लिये आप चीनी को ही ले लीजिये। चीनी देश में बहुत अधिक मूल्य पर बिकती रही है। इस दिशा में कई बार सरकार पर प्रभाव अथवा दबाव डाला गया परन्तु कोई परिणाम न निकला। सरकार द्वारा ऐसे कोई पग नहीं उठाये गये जिससे मूल्यों को स्थिर किया जा सकता।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बम्बई की एक सहकारी समिति ने ९९ नये पैसे प्रति गैलन की दर से रूस से तेल मंगवाया और उसे १ रु० २५ नये पैसे प्रति गैलन के दर से बेचा। क्या इसे आप शोषण नहीं कहेंगे। सरकार इस दिशा में बिलकुल असफल रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी कर्मचारियों में अशांति पैदा हो गयी है। गत वर्ष जो देश व्यापी हड़ताल हुई थी उसका भी कारण यही था। उनकी सब से बड़ी शिकायत यह थी कि मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गयी है और उनके लिये अपना खर्च चला पाना कठिन हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक बात हमें बड़ी अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिये कि जब तक मूल्यों को स्थिर नहीं किया जाता, तब तक हम अपनी तीसरी योजना के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पायेंगे। हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि यदि मूल्य इसी प्रकार बढ़ते गये तो स्थिति बड़ी शोचनीय हो जायेगी। इस खतरे को रोका जाना चाहिये। इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, अतः सदन द्वारा इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। मैं विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : इस प्रकार का विधेयक केवल युद्ध काल में ही लाया जाना चाहिये। शांति कालीन व्यवस्था में किसी भी देश में इस प्रकार का विधेयक विद्यमान नहीं है। हमारे देश में शांति काल में इस प्रकार के विधेयक को लाना असामान्य बात है। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि वस्तुओं के मूल्य मांग और संभरण के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित होते हैं। कानून द्वारा मूल्य निर्धारित करना न बुद्धिमानी है और न व्यवहारिक ही।

मेरा मत है कि यह विधेयक बिल्कुल व्यर्थ है। इसके द्वारा देश की सामान्य जनता की स्वतंत्रता पर और अधिक कुठाराघात होगा। मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, [मैं इस विधेयक की आत्मा का स्वागत करता हूं।

पंचवर्षीय योजना के फल जो निकल रहे हैं उनका बटवारा इस प्रकार आम जनता में होना चाहिए कि जनता का कोई वर्ग उन से वंचित न रह जाए। जिन वस्तुओं के बारे में श्री मेनन के बिल में व्यवस्था की गयी है वे सब वस्तुयें आम जनता की आवश्यकता की वस्तुएं हैं और जब जिन्दगी की जरूरतों का प्रश्न उठता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी के वेतन को लगातार बढ़ाते जाएं तो उस से काम चलने वाला नहीं है। इस के लिए जरूरी है कि आम वस्तुओं के दामों को किसी स्तर पर स्थिर करें। और जब वस्तुओं के दाम को किसी स्तर पर स्थिर करने का प्रश्न उठता है तो उसी के साथ यह प्रश्न भी उठ आता है कि वस्तुओं के उत्पादन का जो व्यय है उस में उपभोक्ता तक पहुंचने में कितनी वृद्धि तक होने दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में एक उसूल को माना जाना चाहिए और वह उसूल यह है कि किसी चीज का जितना उत्पादन व्यय है उसका ड्योढ़े से ज्यादा कभी भी उपभोक्ता से वसूल नहीं किया जाना चाहिए और जो यह ५० पर सेंट है इसी में उत्पादक और बीच के आदमी का मुनाफा शामिल होना चाहिए। और उपभोक्ता को उत्पादन व्यय की ड्योढ़ी कीमत से ज्यादा न देनी पड़े। आप चीनी को लीजिए। मोटे तौर से चीनी का दाम कारखाने में आठ आने सेर पड़ता है। उस पर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का मिलाकर करीब १३ रुपये ५ आने प्रति मन टैक्स पड़ जाता है। इस पर मिल मालिक का मुनाफा १.२ पर सेंट टैरिफ कमीशन ने तै कर दिया है। यह सब मिलाकर जितना उत्पादन व्यय होता है उस से करीब दूनी कीमत हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल यही प्रश्न नहीं उठता है कि यदि कोई व्यापारी नाजायज

†मूल अंग्रेजी में

मुनाफा उठाता है तो उसको रोका जाए, इस के साथ ही यह प्रश्न भी है कि सरकार को भी जनता की जरूरत की वस्तुओं पर मनमाने ढंग से टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार को भी इतना टैक्स लगाने की छूट नहीं होनी चाहिए जितना कि उस ने चीनी पर लगा दिया है ।

इसी तरह कैरोसीन आइल है जो कि आम जनता की आवश्यकता की एक वस्तु है। यह हिन्दुस्तान में आता है उस से कितने गुने ज्यादा पर बेचा जाता है इस का हिसाब लगाने का कभी प्रयत्न नहीं किया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर सरकार चाहती है कि पंच-वर्षीय योजनाओं के परिणामों को आम जनता तक पहुंचाया जाए तो उसे यह सिद्धान्त तै करना होगा कि किसी चीज का मूल्य उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते उत्पादन व्यय के ड्योढ़े से ज्यादा न होने पाए ।

इसी संदर्भ में एक यह बात भी याद रखने की है कि जो वस्तुएं कारखानों से निकलती हैं उन के बारे में तो यह तै कर दिया जाता है कि इनका उत्पादन व्यय कितना है, लेकिन जो वस्तुएं खेतों में पैदा होती हैं और जिनको किसान पैदा करते हैं उन के बारे में यह जानने का प्रयत्न नहीं किया जाता कि उनका उत्पादन व्यय क्या है। अब प्रश्न यह नहीं है कि किसान की पैदा की हुई चीजों का दाम ज्यादा न बढ़ने पावे, बल्कि कुछ दिनों में यह प्रश्न आप के सामने आएगा कि किस प्रकार खेती की उपज की कीमत स्थिर रखी जाए और एक खास स्तर से वह गिरने न पावे। यदि हम ने ऐसा नहीं किया तो उसका नतीजा यह होगा कि जब किसान की फस्ल आएगी तो उस समय उसकी कीमत गिरा दी जाएगी और जब उस के हाथ से फस्ल निकल जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ादी जाएगी। हिन्दुस्तान का पिछले डेढ़ सौ साल का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब किसान की फस्ल बाजार में आती है तो उसका दाम गिरा दिया जाता है और जब उस के हाथ से फसल निकल जाती है तो उसका दाम बढ़ा दिया जाता है। आप देखें कि तीन साल पहले फस्ल पर गेहूं का दाम १४ रुपए मन था लेकिन बाद में उसका दाम २० रुपए, २५ रुपए, ३० रुपए, और कहीं कहीं तो ३४ रुपए मन तक हो गया यानी दूने से भी ज्यादा तक बढ़ गया। वह मुनाफा कहां जाता है। न तो इस दाम बढ़ते से उत्पादक को फायदा होता है और न उपभोक्ता को लाभ पहुँचता है। इस सारे फायदे को बीच के लोग अपने पास रखते हैं। इसलिए अगर उत्पादन के हितों की रक्षा करनी है तो आपको यह देखना होगा कि जिस चीज को वह पैदा करता है उसको उस के उत्पादन में क्या खर्च पड़ता है । आपको उस के कृषि उत्पादन का दाम निश्चित करना चाहिए और साथ ही यह भी निश्चय कर देना चाहिए कि उपभोक्ता तक पहुंचने में उस के दामों में १६ परसेंट से अधिक वृद्धि न होने पावे । अगर इस से ज्यादा दाम बढ़ता है तो उस से उपभोक्ता को नुक्सान होता है साथ ही उत्पादक को कोई लाभ नहीं होता । वह मुनाफा बीच वाले के हाथ आता है ।

आज क्या हो रहा है । जब बैसाख में किसान की फस्ल बाजार में आती है तो, जैसा कि आप आज कल देख रहे हैं, उसका दाम गिरता चला जाता है और चूंकि गल्ला का दाम कम हो गया है इसका परिणाम यह होगा कि उसकी बिक्री से किसान को जो पैसा मिलेगा उस से वह अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकेगा और उसको कठिनाई होगी।

[श्री ब्रजराज सिंह]

मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम को इस बिल की भावना का आदर करना है—और जैसा मैं ने कहा मैं इस की आत्मा का स्वागत करता हूं—तो हम को आम जनता की आवश्यकता की चीजों का दाम निश्चित करना पड़ेगा इस तरह से कि उत्पादक को भी नुक्सान न हो और उपभोक्ता को भी उचित मूल्य पर चीज सुलभ हो जाए। हिन्दुस्तान में जो चीजें कारखाने में बनती हैं उन के लिए तो यह निश्चित कर दिया जाता है कि यह चीज इतने दाम पर बिकेगी लेकिन जिस चीज को हिन्दुस्तान के ७० फी सदी लोग पैदा करते हैं, उन के माल के उत्पादन व्यय को तै करने के लिए सरकार ने कोई मैशिनरी नहीं बनायी है । इसी लिए हमारे देश में कहावत चली आ रही है कि "भाव भवन्ता और वर्षा इन पर भगवान का अधिकार है, मनुष्य का अधिकार नहीं है ।" यानी भाव पर, भविष्य पर और वर्षा पर मनुष्य का अधिकार नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन तीनों चीजों पर भगवान का नहीं बल्कि मनुष्य का अधिकार है । भाव तो हम तै करते ही हैं और भविष्य के बारे में भी हम तै करते हैं। वर्षा के बारे में रूस ने यह अधिकार ले लिया है अपने हाथ में कर लिया है कि कहां वर्षा हो और कहां न हो । तो मेरा निवेदन है कि जब तक किसान की पैदावार का उत्पादन व्यय तै नहीं किया जाता तब तक किसान का शोषण होता रहेगा ।

हम ने पिछले दिनों हिसाब लगाया था । यदि यह मान लिया जाए कि फस्ल पर गेहूं का भाव १५ रुपया मन रहे और बाद में उसका भाव २० या २२ रुपए मन तक हो जाए, और अगर यह भी मान लिया जाए कि किसान अपने उत्पादन का आधा भाग ही बाजार में लाता है और आधा स्वयं इस्तेमाल कर लेता है, तो बीच वालों को ५०० करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा होगा । मेरा निवेदन यह है कि इस ५०० करोड़ रुपए बचाने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि चाहे इस के लिए कोई खास कानून बने या न बने लेकिन कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाना चाहिए जिस से उत्पादन और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जा सके । और यह करना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है । आज देश में करीब २०० ऐसे व्यापारी हैं जो फस्ल के समय सस्ते भाव पर गल्ला इकट्ठा कर लेते हैं और जब फस्ल का समय निकल जाता है तो उस को ड्योढ़े और दूने दाम पर बेचते हैं। सरकार को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि न तो उत्पादक को हानि हो और न उपभोक्ता को हानि हो । इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां तक खेत की फसल का सवाल है सरकार को यह सिद्धान्त तै कर देना चाहिए कि फस्ल पर जो भाव होता है और उस के बाद के भाव में १६ प्रतिशत से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए, जो कारखाने की पैदा की हुई चीज है उसमें सरकारी टैक्सों को शामिल करते हुए जो पैदा करने वाला है उसके मुनाफे को शामिल करते हुए जो रिटेलर है खुदरा व्यापारी है, उसके मनाफे को शामिल करते हुए किसी सूरत में भी ५० फीसदी से ज्यादा कीमत न बढ़े। जब हम इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करेंगे तभी हम हिन्दुस्तान में उत्पादको और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा कर सकत हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल इस और एक कदम है। सरकार इस बिल को स्वीकार करे या न करे लेकिन इस सिद्धान्त को मान लेना चाहिए कि अगर हमें पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है, अगर हमें उनके हितो की रक्षा करनी है तो इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम इस तरीके से नियत

कर दे जिस से न तो उत्पादकों के हितों को हानि हो और न उपभोक्ताओं के हितों को हानि पहुंचे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार यह सिद्धान्त मान ले कि उपभोक्ताओं को ५० फ़ी सदी से ज्यादा दाम न देने पड़े। इसी तरह गल्ले के बारे में भी यह सिद्धान्त मान लिया जाय कि एक फसल से दूसरी फसल के आने तक १ आने से ज्यादा दाम गल्ले के न बढ़ने पायें। अब गल्ले की मिनमम कीमत क्या है इसको नियत करते समय यह जरूर ध्यान में रखना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि किसान जो ज्यादा पैदावार करना चाहता है उसकी उसे ज्यादा और मुनासिब कीमत न मिले ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि कई दोस्तों और खास तौर पर इस विधेयक के प्रस्तावक महोदय ऐसा मानते हैं कि इस देश के अन्दर जो वर्किंग फोर्स है, काम करने वाले भाइयों की तादाद जो है वह २ करोड़ के करीब है हालांकि इस देश के अन्दर जो काम करने वाले भाई हैं उनकी तादाद अंदाजन १९ करोड़ के करीब होगी। कुछ भाई "फैक्टरियों में काम करते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं और कुछ भाई खेतों में काम करते हैं। अब चाहे वह खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हों अथवा छोटी जमीन के मालिक हों, उन्हें आप किसान कहिए या भूमिधर कहिए, कुछ भी कहिए, वह लोग हैं।

मैं ने प्रस्तावक महोदय के विधेयक को ध्यान से पढ़ा है और मैं इस से इंकार नहीं करता कि उनकी दलीलों और खयालातों में कुछ वजन हो सकता है और चीजों के भाव नहीं बढ़ने चाहिएं लेकिन आखिर उसका कोई अंदाजा भी तो होना चाहिए कि किस अंदाज से , किन के वास्ते और देश के कितने हिस्से के लिए मेरे माननीय मित्र कोई कायदा अथवा कानून बनाना चाहते हैं। अगर वह सिर्फ दो करोड़ के नुक्तेनिगाह से इस देश के अन्दर कोई कायदा और कानून बनाना चाहते हैं तो वह देश का कानून तो हो नहीं सकता है। वह तो कुछ दो करोड़ भाईयों के लिए कानून हो सकता है । मैं समझता हूं कि यह जो हमारे सोचने का तरीका रहा है उससे कई दफे इस देश को नुकसान हुआ है और देश को काफी घाटा हुआ है ।

सभापति महोदय, आप जानते हैं जैसा कि प्रस्तावक महोदय चाहते हैं इस देश ने उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज सुलभ करने के लिये काफी रुपया खर्चा है और काफी रुपया इस देश ने घाटे के तौर पर बर्दाश्त किया है । सन् १९४६ से लेकर सन १९६० तक वह कोई २९८ करोड़ के बैठता है, अंदाजन उसे ३०० करोड़ रुपया कहा जा सकता है । ३०० करोड़ रुपया इस देश के अन्दर इस बात के लिये खर्च हुआ कि देशवासी सस्ता गेहूं और चावल खायें ।

अभी प्रस्तावक महोदय ने वित्त मंत्री महोदय का जिक्र किया था और उनकी उस तकरीर का भी जिक्र किया था जो कि उन्होंने राज्य सभा में उन के साथियों की तकरीरों के जबाब में कहा था। कल भी उन्होंने इस सदन में कहा था और मैं समझता हूं कि आज भी उन्होंने उसी चीज की कोशिश की कि वित्त मंत्री महोदय की तकरीर के बारे में अपने तरीकयेकार के हिसाब से अंदाजा लगाय। मैं अपने दोस्त को बतलाना चाहता हूं कि यह गांधियन तरीका नहीं है कि कोई आदमी सत्याग्रह करें और दूकान के ऊपर जा कर झगड़ा करें : चीजों के दाम जरूरत से ज्यादा न बढ़ने पायें इसका तरीका बिलकुल आसान है कि उपभोक्ता उस चीज को इस्तेमाल

[चौ० रणवीर सिंह]

करने से इंकार कर दे। अब अगर चीनी की कीमत ज्यादा हैं तो उपभोक्ता को चाहिए कि वह चीनी खाना बंद कर दे। चीनी वगैर खाये कौन आदमी मरा जाता है। मैं तो समझता हूं कि उपभोक्ता यदि पांच दिन भी चीनी लेने से इंकार कर दे तो दूकानदार मजबूर हो जायगा कि वह चीनी मंहगी न बेचे। अब मेरी राय में इसके लिये कोई सोसाइटी बनाने या किसी किस्म का सत्याग्रह वगैरह करने की जरूरत नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि अगर उपभोक्ता लोग जैसा मैं ने सुझाव दिया कि वह महंगी होती जाने वाली चीज का इस्तेमाल बन्द कर दे, अगर इस ढंग से सोचना शुरू कर दे तो चाहे वह अनाज का व्यापारी हो चाहे वह चीनी का व्यापारी हो वह सही रास्ते पर लाये जा सकते हैं।

मुझे मालूम है कि फूड एण्ड एग्रीक्लचर मिनिस्ट्री ने काफी रुपया इस बात के प्रचार के लिए खर्च किया है और इस बात की बहुत कोशिश की जा रही है कि लोग अपनी ईटिंग हैबिटस (खाने की आदतें) बदलें अर्थात चावल खाने वाले इलाकों के लोग चावल के साथ-साथ गहूं खाने की भी आदत डालें, चावल के साथ में गेहूं की रोटी भी खाना सीखें, निरा चावल ही चावल न खायें। इस में देश का भला है। अब उपभोक्ता लोग काफी समझदार लोग हैं और वह इस मंशा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं लेकिन वह समझने से इंकार करते हैं। अब यह इस देश की बदकिस्मती है कि उपभोक्ता हालांकि काफी पढ़े लिखे हैं और काफी देश का रुपया उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च हुआ है लेकिन उपभोक्ता लोग देश के हित की बात नहीं सोचते। उपभोक्ता केवल अपने स्वार्थ की ही बात सोचता है। अब उसके मुंह गेहूं लगा है, उसे गेहूका स्वाद है तो वह गेहूं नहीं छोड़ सकता और वह गेहूं के बदले में ज्वार और बाजरे की रोटी खाना नहीं चाहता है। इसी तरह जो चीनी का उपभोक्ता है और उस के मुंह चीनी लगी है, जिसे चीनी का स्वाद है वह उस चीनी को नहीं छोड़ना चाहता। वह गुड़ खाने को तैयार नहीं है, वह शक्कर खाने को तैयार नहीं है। वह तो बस सफेद चीनी ही खाते रहना चाहता। यही नहीं आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले यहीं सदन में इस बात के लिए बहस हुई थी कि वनस्पति तेल जमाया जाना बंद कर दिया जाये। अब दरअसल देखा जाये तो जमे हुए तेल में और वैसे ताजे तेल में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक सफ़ेद रंग का फर्क है और जिस के कि लिए करोड़ों रुपये उपभोक्ता देते हैं जहां तक स्वाद का सबंध है साधारण वगैर जमे हुए तेल और जमाये हुए तेल के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है और न हीं कोई उस के गुण में कोई फर्क आता है, अलबत्ता फर्क उसकी शक्ल में आ जाता है और उसका जमा हुआ सफेद रूप दिखाई पड़ता है और वह सफेद रंग उपभोक्ता को अच्छा लगता है और उस के मन को भाता है और इसलिए वह तेल को जमाये हुए रूप में कबूल करता है। अब गांधियन तरीका बिलकुल साफ है और इस देश का हित तभी हो सकता है जब कि आदमी अपने ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाये। जब तक हम कुर्बानी नहीं करेंगे तब तक देश का हित कैसे हो सकेगा? हर एक देश कुर्बानी से बढ़ता है। कोई भी देश केवल कायदे और कानून से आगे नहीं बढ़ सकता है।

अब कौन नहीं जानता कि इन पिछले १४–१५ साल के अन्दर इस देश में कंट्रोल्ड एकोनामी रही है। गेहूं के भाव कंट्रोलड रहे, चीनी के भाव कंट्रोल्ड रहे। अब गेहूं का जहां तक वास्ता है मुझे पंजाब का एक किसान होने के नाते मालूम है कि सन १९४७ के अंदर गेहूं की कीमत १६ रुपये प्रति मन थी जब कि आज हमारा गेहूं १४ रुपये प्रति मन

बिकता है । इसी तरह धान के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो धान १० रुपये-१२ रुपये और १५ रुपये मन बिकता था वही धान इस देश के अन्दर ६ रुपये मन तक बिका है । अब मुझे तो सख्त हैरत होती है जब हमारे मेनन साहब कहते हैं कि दाम बढ़ गये हैं और पता नहीं कि वह कैसे आंकड़े हैं जिनको कि वह पेश कर के इस बात का दावा करते हैं कि दाम बढ़े हैं । अब अजीब हालत है कि १०—२० फीसदी के ऊपर इतना बावैला उठाया जाता है और कभी सरकारी नौकरों का सत्याग्रह कराया जाता है तो कभी इस सदन के अन्दर आवाज बुलन्द की जाती है । मैं अपने माननीय मित्र से निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह गांधी वादी तरीका नहीं है और इस तरह से उनको उपभोक्ताओं को लीड नहीं देनी चाहिए .....

श्री नारायणन्कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम): सत्याग्रह मत करिये लेकिन बिल तो पास करिये ।

चौ० रणवीर सिंह: खाली बिल और कानून बना देने से ही सारा काम हल होने वाला नहीं है . मैं कोई केंट्रोल्ड एकोनामी के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि खाली कानून से ही जैसा कि वे समझते हैं, देश आगे चलने वाला नहीं है । देश आगे चलता है देश का दिमाग बदलने से, देश का स्वभाव बदलने से और देश का स्वाद बदलने से । कानून की भी जगह होती है, कानून का भी स्थान होता है और उस का इस्तमाल किया गया है । मैं इन बातों को मानने के लिय तैयार हो सकता हूं अगर देश की उस१६ करोड़ वर्किन्ग फार्स का भी इस में ख्याल रखा जाय—उस में से ५० लाख वेस्टिड इन्ट्रस्टेस को चाहे निकाल दिया जाय । वे अनाज खुद पैदा करते हैं, जो अगर जवार पैदा करते हैं, तो जवार ही खाते हैं, अगर बाजरा पैदा करते हैं, तो बाजरा खाते हैं वे चावल खरीदने नहीं जाते हैं–जिस को मोट दाने कहते हैं, उस को पैदा करते हैं और खाते हैं, इसी तरह गुड़ और शक्कर खाते हैं, जो रफ खुराक को भी खाते हैं, जो तेल को भी खाते हैं, वनस्पति को नहीं खाती है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो हालात होते हैं, उन का असर इस वर्किन्ग फार्स पर भी पड़ता है और उस का भी कोई इन्डेक्स नम्बर है, उस का भी कीई नाप-तोल है । एक तरफ तो यह नाप-तोल है कि १९५२–५३ में चावल का इन्डेक्स नम्बर१०० था और वह १९६० में १०९ हो गया और गहूं का १०० से घट कर ९१ हो गया । फिर भी आवाज उठाई जाती है । दूसरी तरफ गेहूं का भाव इस देश में पिछले चौदह साल में १६ रुपये से ८ रुपये मन घटा, गुड़ २१ रुपये से घट कर ७, ८ रुपये मन बिका, धान १६ रुपये से घट कर ६ रुपये मन बिका । मैं कहना चाहता हूं कि उस वर्किन्ग फोर्स का भी इन्डेक्स नम्बर है । उस के लिय भी आवाज उठाई जानी चाहिये । क्या उन के लिये भी किसी इन्डेक्स नम्बर की जरूरत है या नहीं ? मैं मानता हूं कि किसान बहुत खासा समझदार है । जिन बातों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, उन में से ज्यादा बातों का किसान से भी सम्बन्ध है और किसान के जीवन पर उन का घाटा नफा होता है ।

माननीय सदस्य एक तरफ किसान की खेती की बात करते हैं और दूसरी तरफ तन्ख्वाहदार आदमियों के लिये सत्याग्रह की बातें करते हैं । टैक्स उनसे लिये जायेंग और इन की तन्ख्वाहें बढ़ा दी जायेंगी । वह गेहूं के भाव कम करने की बात करते हैं । मैं पूछता हूं कि किस के पेट पर पट्टी बांध कर गेहूं का भाव कम किया जायगा । मेरे माननीय मित्र को यह मालूम होना चाहिय कि काश्तकार सर्दियों में सख्त सर्दी में और गर्मियों में इतनी गर्मी में काम करते हैं, जिसमें वे लोग नहीं कर सकते, जो कि सस्ता अनाज खाना चाहते हैं और हर किस्म के मौसम का मुकाबला कर के वे

[चौ० रणवीर सिंह]

देश में धन दौलत पैदा करते हैं। किसान ने इस देश में इतना अनाज पैदा किया, जितनी उस को जरूरत थी। एक वक्त ऐसा आया कि इतना गेहूं हो गया, जिस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इतना धान पैदा किया गया, जिस को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। आज चीनी का भी वक्त आया है। आज से डेढ़ साल पहले १९ लाख टन चीनी पैदा हुई। सारे देश में कुल ५ करोड़ की सहायता दी गई, जिस में से ४,४२ करोड़ रुपया तो चीनी के कारखानेदारों को दिया गया और शूगरकेन ग्रोअर्ज को ५८ लाख रुपया उन के गन्ने की कीमत बीस नये पैसे बढ़ा कर दिया गया। इस का नतीजा यह हुआ कि दस लाख टन चीनी ज्यादा हुई और अगर अन्दाजा लगाया जाये, तो ३० करोड़ रुपया एक्साइज के लिये ज्यादा दिया गया।

अगर माननीय सदस्य और यह गवर्नमेंट देश की हालत सुधारना चाहते हैं, तो कानून के बजाय कोशिश करें कि इस देश में ऐसे हालात पैदा हों, जिन में ज्यादा अनाज पैदा किया जा सके और वह तभी हो सकता है, जब अनाज पैदा करने वाले को भी कुछ सुविधायें दी जायें और उस के लिय भी कुछ रुपया खर्च किया जाय। माननीय सदस्य ने किसानों को लोहे के औजार, फाली वगैरह, पर कंट्रोल करने के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उस से लेबर पर असर पड़ता है, जिस के लिये वह पूरा संरक्षण चाहते हैं। वह मिली भगत हो जाती है। किसान की जरूरतों का इस में कोई जिक्र नहीं किया गया है। कई भाई कहते हैं कि और देशों में चार हजार पौंड धान एक एकड़ पैदा होता है और यहां सिर्फ पांच छ: सौ पौंड पैदा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यहां का किसान भी उतना ही धान पैदा कर सकता है, बगैर किसी प्रचार के कर सकता है, लेकिन उस के लिय मुनासिब हालात चाहियें। गन्ना क्यों नहीं ज्यादा पैदा होता है? जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो हम पानी नहीं दे सकते हैं। पानी का इन्तजाम हम ने नहीं किया है। पंजाब प्रदेश खेती में बहुत आगे है, लेकिन वहां भाखरा डेम के लिये जहां प्लानिंग कमीशन ने १५४ करोड़ रुपय खर्च करने के लिय दिय हैं, वहां अगर उस जमीन को ठीक करने के लिये, जहां पानी ज्यादा है, ३० करोड़ रुपया दिया जाय, तो किसान १२० करोड़ रुपय की पैदावार एक साल में करने के लिये तैयार है।

इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून को पास करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार सही तरीके पर चलना चाहती है, तो काटेज इंडस्ट्रीज और माइनर इरिगेशन पर ज्यादा से ज्यादा रुपया लगाया जाय। अगर कानून बनाना है, तो ब्लैक मार्केटिंग पर कंट्रोल करना चाहिये, जिस से चोरी भी नहीं होगी और उन का मुद्दा भी पूरा होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पिछली दोनों योजनाओं में सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने में सफल नहीं रही है। मेरा मत यह है कि तीसरी योजना की सफलता के लिय मूल्यों को स्थिर करने का काम बहुत ही आवश्यक है। गाडगिल समिति ने भी मूल्यों को उचित स्तर पर लाने का काफी प्रयत्न किया परन्तु वह भी सफल नहीं हो सकी। प्रथम वेतन आयोग का भी यह विचार था कि मूल्य किसी एक स्तर पर आ कर स्थिर हो जायेंग। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। वैसे तो औद्योगिक उत्पादन भी बड़ा है और कृषि उत्पादन भी, परन्तु

†मूल अंग्रेजी में

एक स्तर पर आ कर स्थिर हो जायेंगे । परन्तु ऐसा हुआ नहीं। वैसे तो औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है और कृषि उत्पादन भी, परन्तु आश्चर्य की बात है कि मूल्य भी बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री के प्रयत्न भी इस दिशा में फलीभूत नहीं हो सके।

समाजवादी देशों में उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ मूल्य गिरते जाते हैं। लेकिन हमारे यहां इसका उल्टा होता है । उत्पादन वृद्धि के साथ मूल्य चढ़ते जाते हैं।

हमारे यहां उद्योगों की बड़ी प्रगति हुई है। उदाहरण के लिये अहमदाबाद के सूती कपड़ा उद्योग में १९३३ में ६६ मिलों में ४.५ करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी लगी थी, और १९५८ में केवल ५९ सूती कपड़ा मिलों की प्रदत्त पूंजी १७.४१ करोड़ रुपये हो गई थी । लेकिन दूसरी ओर कपड़े का मूल्य एक वर्ष में ४० प्रतिशत बढ़ गया है । यदि मूल्यों में इसी तरह वृद्धि होती रही तो, सारी योजना चौपट हो जायेगी ।

इसीलिये मैं ने यह विधेयक रखा है कि मूल्यों का विनियमन किया जाये और आवश्यक होने पर नियंत्रण किया जाये। इसका उल्लंघन करने वालों को तीन वर्ष के कारावास के साथ और ५,००० रुपये जुर्माना किया जाये ।

उद्योगों ने बेतरह मुनाफा कमाया है । सूती कपड़ा उद्योग का पूंजी-निर्माण की राशि २० से बढ़ कर ३० करोड़ रुपये हो गई है । मजदूरों की संख्या अपेक्षतया कम हुई है और उत्पादन बढ़ा है।

आश है कि सभा इस विधेयक को स्वीकार करेगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : श्री नारायणन् कुट्टि मेनन द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक मुझे तो अनावश्यक लगता है । इसलिये कि संसद् १९५५ में अत्यावश्यक पण्य अधिनियम पारित कर चुकी है । उसमें लोक हित की दृष्टि से उत्पादन के नियंत्रण, संभरण और वितरण की व्यवस्था की गई है ।

इसलिये सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां मौजूद हैं। सरकार उनका पालन न करने वालों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकती है ।

विधेयक का उद्देश्य तो सराहनीय है, पर इसे पारित करना अनावश्यक है, क्योंकि ऐसी पर्याप्त व्यवस्थायें पहले से मौजूद हैं ।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं इस विधेयक के प्रस्ताव-कर्त्ता की सदाशयता पर कोई संदेह नहीं करता, लेकिन वर्तमान व्यवस्थाओं को देखते हुए यह नितान्त अनावश्यक है ।

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने इस विधेयक की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा है । यदि वह इस विधेयक की व्यवस्थाओं के साथ ही अन्य विधियों का अध्ययन करते, तो इस विधेयक पर फिर आग्रह ही नहीं करते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने यह नहीं बताया कि यह विधेयक पारित करना क्यों आवश्यक है । निर्वाह लागत और मूल्यों की वृद्धि के सम्बन्ध में उन्होंने जो बातें कही हैं, सभी विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों की चर्चा के समय उठाई जा चुकी हैं और उनके उत्तर भी दिये जा चुके हैं ।

माननीय सदस्य ने इस चर्चा का लाभ उठा कर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के मौके पर की गई गलत रहनुमाई को उचित सिद्ध करने की कोशिश की है । जब भी मौका मिलता है, माननीय सदस्य यह प्रश्न उठाने से नहीं चूकते । इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है । इसलिये मैं उसे दोहराना नहीं चाहता ।

मूल्यों के सम्बन्ध में, तृतीय योजना के प्रारूप में एक पूरा अध्याय रखा गया है । योजना और देश के विकास की दृष्टि से अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर बनाये रखना बुनियादी तौर पर जरूरी है ।

लेकिन माननीय सदस्य ने यह बताने की कोशिश ही नहीं की कि योजनाकारों और केन्द्रीय सरकार को इसके सम्बन्ध में क्या रूख अपनाना चाहिये । मैं उसका स्वागत करता हूं । लेकिन माननीय सदस्य ने तो कुछ इस ढंग से चीजें पेश की हैं जैसे देश के आर्थिक विकास और मूल्यों में परस्पर कोई सम्बन्ध ही नहीं है ।

मुझे खेद है कि माननीय सदस्य आर्थिक विषयों से इतने अनभिज्ञ है । इतना तो सभी जानते हैं कि विकासशील अर्थ व्यवस्था में मूल्य वृद्धि अनिवार्य है । यह एक अकाट्य सत्य है । इसे समझते हुए, हम प्रयास कर रहे हैं कि अत्यावश्यक उपभोग वस्तुओं के मूल्य सापेक्षतः स्थिर बने रहें ।

हमारे देश की जनता का रहन-सहन का स्तर बहुत ही नीचा है । उस में थोड़ा सुधार हुआ है, यह भी सही है । अमरीका और कनाडा जैसे देशों में खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग कम हो रहा है । इसलिय कि उनका स्तर अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है । लेकिन हमारे यहां एसी बात नहीं है । हमारी जनता की क्रय-शक्ति बढ़ने के साथ ही मांग भी बढ़ रही है । श्री विट्ठल राव ने कहा कि गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ने के साथ ही मल्यों में वृद्धि होती जा रही है । मूल्य-वृद्धि के दो मख्य कारण हैं: जन संख्या की वृद्धि और जनता की क्रय शक्ति की वृद्धि। जनता की क्रय शक्ति कम होने से वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती थी । अब उसकी मांग बढ़ गई है । क्रय शक्ति की वृद्धि के साथ-साथ । इस से स्पष्ट है कि जनता के रहन सहन के स्तर में सुधार हो रहा है । मूल्य वृद्धि की समस्या हल करने के लिये हमें कई तरह की, कई मौर्चों पर, कार्यवाही करनी पड़ेगी । सब से पहले तो हमें अत्यावश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा । हमारी योजनाओं का यही उद्देश्य है ।

नियंत्रण या विनियमन तो दीर्घस्थायी हल नहीं कर सकेंगे । तृतीय योजना काल का हमारा लक्ष्य १० करोड़ टन उत्पादन का है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : (अनन्तपुर) : तब प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना हो जायगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : लगभग १७½ औंस अनाज ।

आगे चल कर, मांग का स्थिरीकरण हो जायगा, और उस के बाद, एक विकसित अवस्था के बाद क्रय-शक्ति के साथ-साथ जनता की मांग में भी वृद्धि नहीं होगी ।

अनाजों और चीनी के मूल्यों में थोड़ी सुविधा इसीलिय महसूस हो रही है कि उत्पादन बढ़ा है । विनियमनकारी व्यवस्थाओं ने भी उस में योग दिया है । खाने योग्य तेलों के मूल्य बढ़ी हुई मांग के कारण बढ़े हैं। सूती कपड़े की मूल्य वृद्धि का कारण रुई के मूल्य की वृद्धि है । इसलिये कि पिछले साल रूई के का उत्पादन काफी कम रहा था ।

चीनी की स्थिति यह है कि हमने १९५९ में केवल १९.४ लाख टन चीनी का उत्पादन किया था, जब कि हमारा प्रतिवर्ष का उपभोग २२ लाख टन का है । अब चीनी के मूल्य इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, कि हमने इस वर्ष मांग से कहीं ज्यादा, २४ लाख टन चीनी का उत्पादन किया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम) : फिर भी वह अमरीका को चीनी निर्यात करना चाहते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम सभी देशों को निर्यात करने के लिये तैयार हैं। उस से देश की समूची जनता का लाभ है होगा।

प्रशुल्क आयोग ने चीनी का कारखाना-मूल्य ३८.७५ रुपये प्रति मन निर्धारित किया है, गन्ने के १ रुपया १० नये पैसे प्रति मन मूल्य के आधार पर । उस में शुल्क जोड़ने पड़ेंगे ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : लेकिन पूरे वर्ष में कभी चीनी निर्धारित मूल्य पर बाजार में नहीं मिली । इसीलिये नियंत्रण आवश्यक है ।

†**श्री अ० म० थामस** : यदि इस विधेयक को पारित कर देने से इन समस्याओं को हल किया जा सकता है, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होती ।

लेकिन इस से समस्यायें हल नहीं होंगी । उनको हल करने का तरीका है उत्पादन बढ़ाना । तृतीय योजना में उस के लिये काफी ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। तृतीय योजना के अन्तर्गत हमारा सूती कपड़े का वार्षिक लक्ष्य १९६५–६६ के लिये ७० लाख गाठें रखा गया है , जो वर्तमान उत्पादन से ४३ प्रतिशत अधिक है ।

साथ ही, विनियमन के लिये कुछ वित्तीय उपाय भी किये जायेंग ।

इस विधेयक में सब से मुख्य व्यवस्था यह है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड दिया जा सकेगा । यह तो बड़ी साधारण ही चीज है । केवल मूल्य निर्धारित करने से समस्या हल नहीं होगी, जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० मा० थामस]

माननीय सदस्य ने अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की व्यवस्थायें देखने का कष्ट तक नहीं किया । १९५७ में भी अधिनियम संख्या १३ से और २८ इसी विषय से संबंधित हैं ।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम की धारा ३(२) (ग) के अन्तर्गत सरकार को शक्ति प्रदान की गई है मूल्यों का नियंत्रण करने की । धारा ७ में समुचित दण्ड की व्यवस्था मौजूद है । उस के अनुसार भी ३ वर्ष तक की सजा दी जा सकती है । यह दण्ड भी काफी भयोत्पादक है ।

इसलिये, यह विधेयक अनावश्यक है ।

†**श्री नारायणनकुट्टि मेनन** : मैं मानता हूं कि विकासशील अर्थ व्यवस्था में मूल्यों की वृद्धि अनिवार्य है । लेकिन उसका कारण भी तो होता है ।

हमारे देश में जो मूल्य वृद्धि होती जा रही है, उसका कोई कारण नजर नहीं आता । मूल्यों की वृद्धि होती ही जा रही है , चाहे उत्पादन बढ़े या घटे ।

यदि यही हालत रही तो देश की अर्थ व्यवस्था चौपट हो जायगी । योजनाओं की सफलता तो दूर की बात है ।

माननीय मंत्री ने अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ का बार-बार हवाला दिया है । कहा है कि उसकी व्यवस्थायें मूल्य नियंत्रण के लिय पर्याप्त हैं । फिर सरकार मूल्य वृद्धि रोकने में असमर्थ क्यों रही ?

एक बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में बिचौलियों का बड़ा हाथ है । वे सस्ते मूल्यों पर माल खरीद कर संचित कर लेते हैं और फिर बाद में, मांग बढ़ने पर, अधिक ऊंचे मूल्य पर बेच देते हैं । आम उत्पादक में यह सामर्थ्य नहीं होती ।

सरकार समाजवादी समाज और शोषित-पीड़ित जनता के रहन-सहन सुधारने की दुहाइयां देती हैं, लेकिन व्यवहार में करती यह है कि शोषकों को शोषण की खुली छूट दे देती है ।

इस विधयक में सब से आवश्यक और महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि निर्धारित से अधिक मूल्य लेने वालों को बिना वारन्ट गिरफ्तार किया जा सकेगा । इस से अनुचित मुनाफे कमाने वालों के दिल में डर पैदा होगा ।

माननीय मंत्री ने यह तो कहा है कि यह विधेयक अनावश्यक है । उन के विचार से तो इस विधेयक का उद्देश्य अत्यावश्यक पण्य अधिनियम से पूरा किया जा सकता है । लेकिन यह तो बताया जाना चाहिय कि वह इस विधेयक की भावना से सहमत भी है या नहीं । इतना स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिये ।

आज हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति एसी है कि मूल्य विनियमित किये जाना परम आवश्यक है और यह तभी किय. ज है जब इस के लिय एक विधान बना दिया जाय ।

---

†भूल अंग्रेजी में

अभी तक इस में सफलता न मिलना ही इस बात का यथेष्ठ प्रमाण है कि वर्तमान व्यवस्थायें इस के लिये अपर्याप्त हैं।

आशा है कि सभा इस विधेयक का अनुमोदन करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस पर कोई भी संशोधन नहीं आया है। मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि समुदाय के जीवन के लिये अत्यावश्यक पण्य के मूल्यों का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक

†**श्री बाल्मीकी :** (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि घरेलू कर्मचारियों के पंजीयन और उन के काम के घण्टों के विनियमन, वेतन के भुगतान तथा अवकाश और छुट्टी की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक--पारित पृष्ठ

वित्त विधेयक, १९५९ पर खण्डवार चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई। विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--स्वीकृत . . ६००४

तिरासीवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक--अस्वीकृत . . . ६००४

१. २४-३-६१ को श्री झूलन सिंह द्वारा प्रस्तुत तेलों के जमाये जाने पर रोक विधयक पर विचार करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

२. श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक--परिचालित का संशोधन--स्वीकृत ६००४-१९

७-४-६१ को श्री सुब्बया अम्बलम द्वारा प्रस्तुत हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) पर विचार करने के प्रस्ताव पर तथा श्री थानू पिल्ले द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर राय जानने के लिये उस को परिचालित करने के संशोधन पर अग्रेत्तर चर्चा तथा कुछ चर्चा के पश्चात् विधयक को परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक--विचाराधीन . . . ६०१९

श्री बाल्मीकी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक पर विचार किया जाय । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय पृष्ठ

सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१/४ वैशाख, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

(एक) (१) तार विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६० तथा (२) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६० पर राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार ।

(दो) दण्ड विधि संशोधन विधेयक, १९६० पर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—547 (Ai) LSD—26-6-61.

विषय पृष्ठ

परिचालित करने का संशोधन—स्वीकृत

श्री तंगामणि ६००४–०५
श्री नरसिंहन ६००५
राजा महेन्द्र प्रताप ६००५–०६
श्री हजरनवीस ६००६
श्री सुब्ब्या ग्रम्बलम ६००६

ग्रत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का)—

विचार करने का प्रस्ताव—ग्रस्वीकृत ६००७—१९
श्री नारायणन कुट्टि मेनन ६००७–०८
राजा महेन्द्र प्रताप ६००८
श्री ब्रजराज सिंह ६००८—१३
चौधरी रणबीर सिंह ६०१३–१४
श्री त० ब० विट्ठल राव ६०१४–१५
श्री श्रीनारायण दास ६०१५–१६
श्री ग्र० म० थामस ६०१७—१९

ग्रखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का) .

विचार करने का प्रस्ताव . ६०१९
श्री बाल्मीकी . ६०१९

दैनिक संक्षेपिका ६०२०–२१

PLS 41. L.V 51 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।